लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 2, दूसरा सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 4, शनिवार 16 मार्च, 1985/25 फाल्गुन, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
सामान्य बजट, 1985-86	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	1—33
विधेयक—पुरःस्थापित	
वित्त विधेयक, 1985	34
अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) संशोधन विधेयक	36

लोक सभा

शनिवार, 16 मार्च 1985/25 फाल्गुन, 1906 (शक)

लोक सभा 5 बजे म०प० समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)।

सामान्य बजट 1985-86

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मन्त्री।

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं नई सरकार का पहला बजट पेश करते हुए अत्यन्त गौरव का अनुभव कर रहा हूं।

2. मैं यह भलीभांति जानता हूं कि इस निर्णायक घड़ी में हम पर जो बड़ी जिम्मेदारी आई है, वह केवल हमारे उस पद के कारण ही नहीं है, जिस पर हम आसीन हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा उस असीम विश्वास से उत्पन्न हुई है, जो हमारे प्रति लोगों ने व्यक्त किया है। हम जन-साधारण के इस विश्वास पर पूरा उतरने की हर कोशिश करने का वचन देते हैं।

3. मुझे अपनी प्रिय दिवंगत नेता, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के ये शब्द याद आते हैं :

"हमारी विशाल और विविधतापूर्ण जनता के किसी भाग को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे भुला दिया गया है। उनकी उपेक्षा से हम सबका नुकसान होगा।" हम अब उनकी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन उनके शब्द सदा हमारे साथ रहेंगे। राष्ट्र-निर्माण के कार्य में उन्होंने कौन-सा कष्ट नहीं उठाया, यहां तक की उन्होंने मृत्यु की पीड़ा भी सही। उन्होंने हमारे लिए अपने खून में लिखी हुई विरासत छोड़ी है, और वह विरासत है इस देश की रक्षा करना और उसे प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाना। हम उनके इस उद्देश्य के प्रति अपने आपको पुनः समर्पित करते हैं।

4. सदन के सम्मुख जो 'आर्थिक समीक्षा' प्रस्तुत की गई है उसमें चालू वर्ष के आर्थिक घटनाचक्र का विस्तार से विवेचन किया गया है। इसलिए यहां मैं वर्तमान आर्थिक स्थिति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का ही उल्लेख करूंगा।

5. वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय आय में, इससे पिछले वर्ष की 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के अनुक्रम में, 4 प्रतिशत की समग्र वृद्धि होने की आशा है। 1983-84 में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष इस समय प्रत्याशित मात्रा से भी अधिक हुआ है। खाद्यान्नों का उत्पादन 1982-83 के लगभग 13 करोड़ मेट्रिक टन के स्तर से बढ़कर 15.15 करोड़ मेट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया। 1983-84 में कृषि में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन संभवतः गत वर्ष के रिकार्ड स्तर के आस-पास होगा। वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार हुआ है और वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1984-85 में इसकी वृद्धि की दर लगभग 7 प्रतिशत रहेगी। किन्तु कुल मिलाकर छठी आयोजना की अवधि में औद्योगिक वृद्धि की औसत दर लगभग 6 प्रतिशत रहेगी जो कि आयोजना में निर्धारित लक्ष्य से कम है।

6. वर्ष 1984-85 के दौरान आधारभूत ढांचे के प्रमुख क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन काफी-कुछ अच्छा रहा। अप्रैल दिसंबर 1984 की अवधि में बिजली का उत्पादन इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 13.5 प्रतिशत अधिक हुआ, जबकि इसकी तुलना में 1983-84 में इसमें 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कोयले के उत्पादन में अप्रैल-दिसंबर 1984 के दौरान 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि 1983-84 में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। रेल द्वारा माल के यातायात में 1983-84 में गतिरोध आ गया था ; उनमें चालू वर्ष के दौरान कुछ प्रगति शुरू हुई और पहले नौ महीनों में 3.2 प्रतिशत की साधारण वृद्धि हुई।

7. वर्ष के दौरान हमारे भुगतान शेष की स्थिति सुविधाजनक रही और हमारे मुद्रा-भंडार में जनवरी 1985 के अन्त तक लगभग 547 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि हुई। हालांकि रुपयों के रूप में यह वृद्धि कुछ अंश तक अमेरिकी डालर के मजबूत हो जाने के कारण हुई, फिर भी खुशी की बात यह है कि 1983-84 में भुगतान-शेष की स्थिति में जो सुधार हुआ था वह चालू वर्ष में भी जारी रहा। नवम्बर 1984 तक के उपलब्ध व्यापार-संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि निर्यात में, इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत और आयात में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि चालू वर्ष में नवम्बर तक, अनन्तिम रूप में 3,016 करोड़ रुपए का व्यापारिक घाटा रहेगा जबकि इससे पिछले वर्ष 3,080 करोड़ रुपए का घाटा रहा था। स्मरण रहे कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध 5 अरब एस० डी० आर० में से केवल 3.9 अरब एस० डी० आर० की निकासी करने के बाद एक मई, 1984 से इस प्रबंध को स्वेच्छा से समाप्त कर दिया था। हमारा यह सामर्थ्य इस बात का प्रमाण है कि हमारा वित्तीय प्रबंध एक ऐसी अवधि में, जबकि वैदेशिक वातावरण अत्यन्त प्रतिकूल था, सही था।

8. मुद्रास्फीति की दर जो पिछले वर्ष के अन्तिम दिनों में चिन्ता का विषय बन गई थी

विभिन्न प्रकार के मुद्रास्फीति-निरोधक उपायों के कार्यान्वयन द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रित रखी जा सकी ; इन उपायों में व्यय पर अंकुश लगाना और सूझ-बूझ के साथ पूर्ति-प्रबंध करना तथा ठीक समय पर आयात करना शामिल था । हमें, निस्संदेह; लगातार दो अच्छी फसलों का लाभ भी मिला । इस प्रकार, 23 फरवरी, 1985 को थोक कीमतों में वृद्धि की वार्षिक दर 5.2 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह दर 10.0 प्रतिशत थी । उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक भी जनवरी 1985 में, उससे 12 महीने के पहले स्तर की अपेक्षा केवल 4.4 प्रतिशत ऊँचा था, जबकि इससे पहले के वर्ष की तदनुरूप अवधि में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

9. इस प्रकार, कुल मिलाकर, अर्थव्यवस्था ठीक तरह से चल रही है । देश यह सब प्रगति एक लोकतांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत रहते हुए कर सका है, यह कोई कम उपलब्धि नहीं है । एक ऐसे देश में जहां जनता का एक बहुत बड़ा भाग निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा हो, बाहर से कोई खास सहायता लिए बिना अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधन जटा पाना और फिर भी लोकतन्त्र को सुरक्षित रख लेना एक ऐसी उपलब्धि है जिसका श्रेय देश के राजनीतिक नेतृत्व की दूरदर्शिता को जाता है ।

10. फिर भी हमें आत्मतुष्टि के साथ हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ जाना चाहिए क्योंकि हमें आगे जो काम करना है वह बहुत श्रमसाध्य है । मैं अब माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहूंगा कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में मेरे क्या विचार हैं और सरकार उनका मुकाबला किस प्रकार करना चाहती है ।

11. इस समय जबकि हम सातवीं आयोजना का समारंभ करने जा रहे हैं, संसाधनों की स्थिति केन्द्र और राज्यों दोनों स्तरों पर और भी तंग हो गई है । मूल समस्या यह है कि हमारा आयोजना-भिन्न व्यय ऐसी गति से बढ़ता जा रहा है जो चालू राजस्वों की वृद्धि से अधिक तेज है । इसके परिणामस्वरूप, आयोजना के लिए बजटीय संसाधन बहुत क्षीण हो गए हैं । इस समय केन्द्र के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 70 प्रतिशत भाग रक्षा, ब्याज की अदायगियों और खाद्य तथा उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता पर खर्च हो रहा है । इस व्यय के बाकी 30 प्रतिशत भाग का एक काफी बड़ा हिस्सा आवश्यक अनुरक्षण, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों पर खर्च होता है । इसके अलावा, राज्यों के आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण राज्यों को इस सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक राशियां अन्तरित की जाती हैं ।

12. पिछले कुछ वर्षों में, हम वार्षिक आयोजना में की गई भारी वृद्धियों की वित्त-व्यवस्था बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के ऋणों से करते रहे हैं । किन्तु यह स्थिति अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती । इसलिए केन्द्र और राज्यों के बजटीय व्यय में काट-छांट शुरू करनी होगी, चाहे वह कष्टकर क्यों न हो, ताकि एक निश्चित समयावधि में आवश्यक समायोजन किये जा सकें ।

13. अधिक तेजी से औद्योगीकरण करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास करने और धन तथा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए सरकारी क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन वर्षों में सरकारी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है और अब उच्च प्राथमिकता के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके भावी विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में आन्तरिक संसाधन उत्पन्न किए जाएं। हमारे संसाधनों की तंगी को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में पूंजी-निवेश के स्तरों को बढ़ाना तभी सम्भव होगा जब कि विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग हो और पिछले निवेशों पर पहले से अधिक प्रतिफल मिले। सातवीं आयोजना में इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

14. भुगतान-शेष की स्थिति में अभी हाल ही में जो सुधार हुआ है यह संतोष का विषय है। तथापि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्मतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। छठी आयोजना में जो तत्व हमारे लिए अनुकूल रहे हैं उनमें से कुछ सातवीं आयोजना में उतने जोर से सक्रिय नहीं रहेंगे। पिछले पांच वर्षों के दौरान तेल के उत्पादन में करीब 180 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि हुई थी; हो सकता है कि भविष्य में इसी दर से वृद्धि न हो। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की वापसी अदायगियों में भी तेजी से वृद्धि होगी।

15. विश्व की अर्थव्यवस्था में हाल में हुई घटनाओं के कारण न केवल विकास के लिए बाहरी संसाधनों की उपलब्धता में कमी आई है बल्कि उनसे इनकी शर्तें भी स्पष्ट रूप से अधिक कठिन हो गई हैं। बाहरी वाणिज्यिक उधार के वैकल्पिक स्रोत अधिक महंगे हैं। अदृश्य मदों के खाते के अधिशेष में वृद्धि करके काम चला लेने की गुंजाइश भी सीमित है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि हमें भुगतान-शेष की प्रबन्ध-योग्य स्थिति का सह्य ऋण-भार के साथ तालमेल बैठाना है तो हमें निर्यातों की आमदनी से अपने आयातों के अधिकाधिक भाग का वित्त-पोषण करना होगा, ताकि हमारे भुगतान-शेष का घाटा कम हो जाए। दुर्लभ विदेशी मुद्रा को बचाने की आवश्यकता के सन्दर्भ में, यह वांछनीय होगा कि आयात-योग्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को उन क्षेत्रों में बढ़ाया जाए जहां हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह भी आवश्यक है कि कुशल आयात-प्रतिस्थापन पर, भौतिक अर्थ में नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से, जोर दिया जाए ताकि आयात प्रतिस्थापन के लागत और कुशलता सम्बन्धी तत्वों को नीतियों के ढांचे में शामिल कर लिया जाए।

16. कृषि और ग्रामीण विकास हमारे आयोजना कार्य का केन्द्र-बिन्दु है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण, निर्धनता के स्तरों में कमी, रोजगार में वृद्धि, और हमारे भुगतान-शेष में सुधार, ऐसे लक्ष्य हैं जो कृषि में हमारी सफलता के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा पुराना रेकार्ड अच्छा रहा है जो इस तथ्य को उजागर करता है कि हमारी कृषि सम्बन्धी नीति सही है, जिसमें ग्रामीण आर्थिक सम्बन्धों में संरचनात्मक परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और उर्वरकों का अधिक प्रयोग, और सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना शामिल है। लेकिन अभी तो हर मामले में बहुत कुछ करना बाकी है। हमें भिन्न-भिन्न प्रदेशों में, विशेष रूप से धान के मामले में, उपज बढ़ाने की समस्या को सुलझाना है।

हमें मौजूदा किस्मों की अधिक सघन खेती और नई किस्मों के विकास के द्वारा तेलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की ओर भी विशेष ध्यान देना है। हमें खाद्य तेलों के आयात पर काफी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और देश में उनके अधिक मात्रा में उत्पादन से अर्थव्यवस्था को कई प्रकार का लाभ मिलेगा।

17. सरकार की यह नीति है कि हमारे किसान भाइयों को लाभकारी कामतें मिलें। गेहूं और चावल जैसी कुछ प्रमुख कृषि-जन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में कीमत समर्थन कार्यक्रम पहले ही ठीक तरह से चल रहे हैं। सरकार कुछ समय के लिए अन्य महत्वपूर्ण फसलों के सम्बन्ध में, खास तौर से तेलहनों और दालों के सम्बन्ध में, प्रभावोत्पादक कीमत समर्थन कार्यक्रम चलाएगी।

18. सूखे या बाढ़ के कारण फसल खराब हो जाने से हमारे किसान भाइयों और उनके परिवारों की जीविका पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने फसल बीमा की एक व्यापक योजना चालू करने का निर्णय लिया है। अबसे सभी फसल-ऋणों के लिए एक अन्त-निहित बीमा-कवच की व्यवस्था होगी। यह बीमा-कवच फसल-ऋण के 150 प्रतिशत तक के लिए दिया जाएगा। आरम्भ में, यह योजना गेहूं, धान, तेलहन और दालों पर लागू होगी। बीमा प्रभार की राशि बहुत कम होगी। सीमान्तिक और छोटे किसानों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर, बीमा-प्रभारों की दो-तिहाई सीमा तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है; इसके बारे में अलग-से घोषणा की जाएगी।

19. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वतः रोजगार के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम के द्वारा निर्धनता को कम करने में सहायता मिली है और रोजगार के अवसर बढ़ाने के कार्य में योगदान मिला है। सरकार इन विशेष कार्यक्रमों को और सबल बनाने और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए वचन-बद्ध है। रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना हमारे विकास प्रयत्नों का मर्म है। अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने के लिए इस समय जो उपाय किये जा रहे हैं उनका रोजगार की स्थिति पर अत्यन्त अनुकूल असर होगा।

20. सरकार एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती है जिसके अन्तर्गत भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमान्तिक किसानों, परम्परागत कारीगरों और अन्य लोगों के निर्धन परिवारों के ऐसे कमाऊ सदस्यों की दुर्घटना से मृत्यु होने की जोखिम का बीमा किया जाएगा जो किसी भी बीमा योजना या कर्मकार प्रतिकर व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आते। इस योजना के अन्तर्गत, दुर्घटना से मरने वाले व्यक्ति के आश्रितजन को 3,00 रुपए की राशि अदा की जाएगी। शुरू में, यह योजना राज्यों के परामर्श से चुने गए, देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी। मुझे आशा है कि सदन के सभी वर्ग इस योजना का स्वागत करेंगे, जिससे घोर विपदा के समय निर्धन-तम परिवारों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।

21. मैं सदन को सहर्ष सूचित करता हूं कि कृषि तथा लघु उद्योग सहित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को 1984-85 के अन्त तक दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए जो 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य को सरकारी क्षेत्र के बैंक पार कर चुके हैं। यह इस तथ्य को देखते हुए एक बड़ी भारी उपलब्धि है कि 1969 में, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों की राशि 15 प्रतिशत से कम थी। इस समय हमारे सामने यह समस्या है कि पिछले ऋणों की वसूली धीमी गति से हो रही है। माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि ऋण प्रणाली के लिए उसे सौंपा गया काम पूरा करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि पिछले ऋणों की वापसी अदायगी में सुधार न हो।

22. औद्योगिक वृद्धि की गति को बढ़ाना भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि औद्योगिक वृद्धि का स्वरूप हमारी सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। हमारा घरेलू बाजार काफी बड़ा है, उद्योग का ढांचा पहले से ही विविधतापूर्ण है और उद्यमकर्तृत्व का आधार भी विकसित हो चुका है। ये हमारे सामर्थ्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब हमें लागतों और कीमतों को कम करने का लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए और अपने उद्योग की प्रतियोगितात्मकता में सुधार करना चाहिए। इस कार्य के लिए अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाना होगा और उस पर कुछ लागत भी आयेगी जिसे अदा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहले किए गये अनुत्पादक निवेश भविष्य की उत्पादक शक्तियों के मार्ग में बाधक न बनें। इसके अलावा, भारतीय उद्योग को निवेशों के वित्तपोषण के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनना होगा। विनियमन ऐसे हों कि उनसे वृद्धि करने का कार्य सुविधाजनक बने और वे बदलते हुए बाहरी तथा प्रौद्योगिकीय वातावरण के अनुरूप हों। खास तौर से, राजकोषीय, औद्योगिक और व्यापार-सम्बन्धी नीतियों में अधिक तालमेल लाना जरूरी है।

23. भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बहुमुखी कार्यक्रम की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने हाल ही में संसद में कहा था :

> "हमारे देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं। हमें भारत को आधुनिक बनाना है। हमें भारत के लोगों के सोचने के ढंग को बदलना है, जिससे कि वे भविष्य की ओर देखें और अतीत में ही उलझे न रहें। हमें भारत को प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाना है। हमें एक ऐसे गतिशील देश का निर्माण करना है जो संसार के किसी भी अन्य देश की बराबरी कर सकता हो।

इस कार्य में हमारा सबसे बड़ा साधन जन-शक्ति है और हमारी सभी नीतियों की सफलता के लिये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा तथा पर्यावरण पर नये सिरे से बल देकर, और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा इस साधन के सर्वोत्तम उपयोग का प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार किया जाए।

24. अब मैं कुछ ऐसे निर्णयों की घोषणा करता हूं जिनका उद्देश्य औद्योगिक वृद्धि के वातावरण में सुधार लाना और कठाइयों को कम करना है। लाइसेंसिंग को समाप्त करने के उद्देश्य से उद्योगों की एक सूची अधिसूचित करने का प्रस्ताव है ताकि उन क्षेत्रों में प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब को घटाकर न्यूनतम किया जा सके जहां हम अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना चाहते हैं। 1969 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम०आर०टी०पी०) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की सीमा निर्धारित किए जाने के बाद से, परियोजनाओं की लागत और आर्थिक आकार में हुई वृद्धि को प्रतिबिम्बित करने के लिए, यह सीमा संशोधित करके 100 करोड़ रुपए निर्धारित की जा रही है। लघु उद्योगों के क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार का और कदम उठाने का प्रस्ताव है। संयंत्र और मशीनों में निवेश की उच्चतम सीमा, जो 1980 में 20 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, बढ़ाकर 35 लाख रुपए की जा रही है। अनुषंगी मदों से संबंधित उच्चतम सीमा को 25 लाख रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ा कर 45 लाख रुपए किया जा रहा है। बाद में अपने भाषण में मैं इस क्षेत्र के विकास में सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ राजकोषीय उपायों की घोषणा करूंगा।

25. वित्तीय पक्ष में, मेरा प्रस्ताव निगम क्षेत्र द्वारा बाजार से साधन जुटाए जाने को सुविधाजनक बनाने और सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर इसकी निर्भरता को कम करने के लिए है। एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों की विपण्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, उनके द्वारा ऐसे निर्गमों पर देय अधिकतम ब्याज को 13.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की प्रतिभूतियों के निर्बाध अन्तरण की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जा रहा है। इस उपाय से देश भर में फैले हुये छोटे निवेशकर्ताओं को विशेष रूप से लाभ पहुंचेगा। निवेशकर्ताओं को चुनाव करने का व्यापक अवसर प्रदान करने के लिये, अल्पजनधारित कम्पनियों के शेयरों को सूचीबद्ध कराने की अपेक्षाओं में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन कम्पनियों को अपनी सामान्य पूंजी (इक्विटी) के 40 प्रतिशत भाग की पेशकश 3 वर्षों की अवधि में दो चरणों में करके शेयरों को सूचिबद्ध करने और जनता के पास जाने से पहले अपनी मुक्त आरक्षित राशियों के अपेक्षाकृत अधिक बड़े भाग का पूंजीकरण करने की अनुमति दी जायेगी। बाजार में विविधता लाने के लिए एक नये प्रकार का शेयर अर्थात् संपरिवर्तनीय संचयी अधिमानी शेयर (कन्वर्टिबल क्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर) शुरू किया जा रहा है। सार्वजनिक निर्गमों की मौजूदा ऊंची लागत को कम करने के लिये बहुत-से उपायों की घोषणा अलग से की जा रही है।

26. निगम क्षेत्र को भी हमारे लोकतंत्र के संचालन में, परिभाषित प्रतिमानों के अन्तर्गत अपनी यथोचित भूमिका निभाने की अनुमति दी जानी चाहिये। कम्पनियों को अपने मुनाफों में से

राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति देने के लिये इस सत्र में आवश्यक विधान लाने का प्रस्ताव है।

27. सरकार का रुग्ण एककों के बारे में एक विशेष विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। एक वित्तीय और औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो एकीकरण और विलय के द्रुतगति तंत्र की व्यवस्था करेगा और अन्य ऐसे समाधान निकालेगा जो बड़े और मध्यम क्षेत्र में रुग्ण एककों की समस्याओं से निपटने के लिये जरूरी हों। एककों के रुग्ण हो जाने के बारे में रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी स्वयं एककों की होगी, जिनके लिये उस समय शेयरधारियों से नया आदेश प्राप्त करना जरूरी होगा, जब कम्पनी की निवल सम्पत्ति का 50 प्रतिशत भाग क्षीण हो चुका हो। जब कम्पनी अपना सम्पूर्ण निवल मूल्य खो देगी तब उस एकक के कारोबार का संचालन करने में तत्कालीन प्रबन्धकों और मालिकों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। यह भी प्रस्ताव है कि जिन्हें एकक के कुप्रबन्ध के लिये जिम्मेदार माना जायेगा, उन्हें नये उद्यमों के मामलों में भी वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त नहीं होगी। खोटे सिक्कों की तरह अयोग्य प्रबन्धकों को भी चलन से बाहर रखना जरूरी है।

28. औद्योगिक रुग्णता के सबसे अधिक शिकार कामगार होते हैं। लेकिन मौजूदा कानून के अन्तर्गत, जब कम्पनियों का परिसमापन होता है तो प्रत्याभूत ऋणदाताओं की तुलना में कामगारों की लेनदारी को निम्न प्राथमिकता दी जाती है। मेरे विचार में, उत्पादन में श्रमिक उतना ही बड़ा घटक है, जितना कि कोई अन्य घटक; और यह अन्यायपूर्ण है कि कामगारों की लेनदारियों को निचली प्राथमिकता मिले। इस स्थिति को सुधारने के लिये हमने आवश्यक विधान प्रस्तुत करने का निश्चय किया है ताकि कम्पनियों के बन्द होने की स्थिति में, कामगारों को देय बंध राशियों का भुगतान बैंकों जैसे प्रत्याभूत ऋणदाताओं के साथ-साथ किया जाये। इन देय राशियों को सरकारी देनदारियों से भी ऊंची प्राथमिकता मिलेगी। सरकार कम्पनियों के प्रबन्ध में कर्मचारियों और कामगारों द्वारा भाग लिये जाने को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें स्टाक संबंधी विकल्प देने की एक योजना पर भी विचार कर रही है।

29. इस समय, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत, जिन मामलों में किसी कर्मचारी का वेतन अथवा मजदूरी 750 रुपए मासिक से अधिक हो तो उस कर्मचारी को देय बोनस की गणना इस प्रकार की जाती है मानो कि उसका वेतन अथवा मजदूरी 750 रुपए मासिक थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 1,600 रुपए प्रति मास करने का प्रस्ताव है। इसकी पात्रता की कसौटी वही बनी रहेगी।

30. समूचे नीति-विषयक ढांचे में किये जा रहे परिवर्तनों के अलावा, सरकार कतिपय, विनिर्दिष्ट उद्योगों की समीक्षा भी कर रही है ताकि संरचनात्मक असन्तुलनों को ठीक किया जा सके। उत्पादन, निर्यात और रोजगार में योगदान की दृष्टि से, कपड़ा उद्योग का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यह उद्योग बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है और उसके

ढांचे में परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक है। मैं सूती कपड़ा उद्योग के राजकोषीय ढांचे में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव करूंगा। नई कपड़ा नीति तैयार करने का काम काफी-कुछ हो चुका है।

31. इलेक्ट्रानिक उद्योग वास्तव में हमारे जमाने का एक आधुनिक उद्योग है। इस उद्योग के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से, सरकार ने नवम्बर, 1984 में संगणकों (कम्प्यूटर) के लिए कुछ नये उपायों की घोषणा की थी। संघटकों और कच्चे माल के आयात-शुल्क की दरों में भारी कमी की गई थी और अन्तिम उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए संगणकों के आयात की नीति को भी उदार बना दिया था। अब इलेक्ट्रानिक उद्योग की अन्य वस्तुओं पर भी यही पद्धति लागू करने का निर्णय किया गया है। नई नीति के ब्यौरे की घोषणा इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा अलग से की जायेगी।

32. अब मैं 1984-85 के संशोधित अनुमानों और 1985-86 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं।

1984-85 के संशोधित अनुमान

33. वर्ष के दौरान बजट के मोर्चे पर कई अप्रत्याशित घटनाएं घटित हुईं। आयोजना भाग में, केन्द्र और राज्यों की आयोजनाओं के लिये अपेक्षाकृत अधिक बजटीय व्यवस्थाएं करनी पड़ीं। आयोजना-भिन्न भाग में, रक्षा, खाद्य और उर्वरकों सम्बन्धी आर्थिक सहायता, और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी के व्यय में भारी वृद्धि हुई। बाढ़ों और चक्रवातों से प्रभावित राज्यों को अधिक सहायता दी गई और कुछ राज्यों को, जो घोर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे थे, मध्यमावधिक ऋण दिये गये। प्राप्तियों के भाग में कर-राजस्व में कुछ वृद्धि हुई और अल्प बचतों के संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।

34. केन्द्रीय आयोजना के लिए अब पहले से अधिक अर्थात् 11,751 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने का अनुमान है जबकि मूल परिव्यय 11,420 करोड़ रुपए का था। मूल बजट के 17,351 करोड़ रुपए की तुलना में, संशोधित केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 17,495 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस समूची राशि के अन्तर्गत, क्षेत्रिय परिव्ययों में कुछ परिवर्तन किए गए। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वत: रोजगार की योजना की व्यवस्था में 124 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए संवितरणों के आधार पर 152 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, खानों, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी, अनाज संग्रह के गोदामों, और कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से पेट्रोलियम, कोयला और उर्वरकों के क्षेत्र में केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के संशोधित अनुमान कम हैं। राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने के वास्ते बजट में की गई व्यवस्था में भी 153 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है।

35. आयोजना-भिन्न भाग में, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की नौ किस्तें, पेंशनभोगियों को राहत सहित, मंजूर की गई। चालू वर्ष के दौरान इन पर लगभग 715 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है जबकि बजट में इसकी तुलना में 300 करोड़ रुपए की एक मुश्त व्यवस्था की गई थी। चालू वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत तदर्थ बोनस पर 61 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

36. चालू वर्ष में खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की राशि 850 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,100 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह वृद्धि मुख्यत. धान की वसूली कीमत में वृद्धि होने, गेहूं की बिक्री से कम राशि वसूल होने और खाद्यान्नों के भंडार में भारी वृद्धि होने के कारण हुई है। स्वदेशी उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि 930 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,200 करोड़ रुपए हो जाएगी। आयातित उर्वरकों के बारे में आर्थिक सहायता, आयात की मात्रा और लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, 150 करोड़ रुपए से बढ़कर 632 करोड़ रुपए हो जाएगी।

37. बाढ़ों और चक्रवातों से प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली सहायता में 130 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। अल्प बचतों का संग्रह अधिक होने के कारण राज्यों को देय हिस्से में भी 440 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। कृषि-निविष्टियों (इनपुट) की खरीद के लिए राज्यों को ऋण देने के लिए की गई व्यवस्था में 60 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा, जिन राज्यों को वर्ष के दौरान गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें कुल मिलाकर 440 करोड़ रुपए के विशेष मध्यमावधिक ऋण प्रदान किए गए।

38. चालू वर्ष में रक्षा व्यय 6,800 करोड़ रुपए के मूल बजट अनुमानों की तुलना में 7,175 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ब्याज सम्बन्धी अदायगियां 5,600 करोड़ रुपए के मूल अनुमानों की अपेक्षा 390 करोड़ रुपए अधिक होने की सम्भावना है।

39. सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को भारी नकद हानियां हुई हैं और उन्हें अतिरिक्त बजटीय सहायता देनी पड़ी है। इन और अन्य परिवर्तनों, जिनमें सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में सामान्य पूंजी को ऋणों में बदलने के लिए की गई काल्पनिक (नोशनल) व्यवस्था भी शामिल है, उनके द्वारा सरकार को देय ब्याज के सम्बन्ध में सहायता, और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए जाने वाले अतिरिक्त अंशदान को हिसाब में लेने पर, कुल आयोजना-भिन्न व्यय 29,740 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि मूल बजट में 26,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

40. कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत, रेलवे से मिलने वाले लाभांश में 211 करोड़ रुपए की कमी होने की सम्भावना है। ऊंची अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण, खाद्य तेलों की बिक्री से भी कम मुनाफा होगा। लेकिन, मुख्यत: सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को दी गई अतिरिक्त बजटीय सहायता के कारण और कुछ अन्य उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के कारण सरकारी

क्षेत्र के उपक्रमों और अन्यों से ब्याज की प्राप्तियां बजट अनुमानों की अपेक्षा 439 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है।

41. जहां तक पूंजीगत प्राप्तियों का सम्बन्ध है, मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि वर्ष के दौरान अल्प बचत संग्रह की राशि अब 3,300 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की आशा है, जबकि बजट अनुमान 2,400 करोड़ रुपए का था। गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्तियां और सरकार क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनकी अधिशेष राशियों की जमा के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्तियां होने का अनुमान है। व्यय में वृद्धि के अनुरूप, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी गई विशेष प्रतिभूतियों से होने वाली प्राप्तियों में भी 149 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। राज्य सरकारों से होने वाली अतिरिक्त वसूलियों और अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेने पर, चालू वर्ष में 17,778 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां होने का अनुमान है, जबकि मूल बजट अनुमान 16,757 करोड़ रुपए का था।

42. इस प्रकार, अनुमान है कि कुल प्राप्तियां 40,763 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,710 करोड़ रुपए हो जाएंगी। कुल व्यय 42,536 करोड़ रुपए से बढ़कर 46,695 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इससे बजट में 3,985 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा, जबकि मूल बजट में 1,7/3 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था।

43. यह घाटा उससे अधिक है, जो मैं आदर्श रूप से पसन्द करता। मुझे खुशी है कि कृषि की अनुकूल स्थिति के कारण, अर्थव्यवस्था ने इस घाटे को, कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आत्मसात् कर लिया है। लेकिन, आवश्यक सावधानी के तौर पर, हमारे लिए अगले वर्ष घाटे की मात्रा को कम करना जरूरी होगा, हालांकि, यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने साधनों की सीमाओं में रहता है, उसमें कल्पना का अभाव होता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या वर्णन है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसा नहीं है कि मेरे अन्दर कल्पना का अभाव है, लेकिन मैं इसे उच्छृंखल भी नहीं होने चाहता।

1985-86 के बजट अनुमान

44. चालू वर्ष के साथ ही छठी आयोजना की अवधि भी समाप्त हो रही है। अनुमान है कि छठी आयोजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र का आयोजना व्यय 1,10,000 करोड़ रुपए का होगा, जबकि मूलतः 97,500 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई थी। लेकिन, इस अवधि में कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए वास्तविक रूप में परिव्यय मूल आयोजना में परिकलित व्यय से कम होगा। फिर भी, यह सन्तोष की बात है कि अर्थव्यवस्था की वार्षिक

विकास की दर के सम्बन्ध में 5.2 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। खाद्यान्नों का उत्पादन आयोजना में निर्धारित लक्ष्य के आस-पास पहुंच जाएगा और कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य से काफी अधिक होगा। बिजली के क्षेत्र में, अतिरिक्त संस्थापित क्षमता का निर्माण आयोजना के लक्ष्य से कम हुआ है, फिर भी आयोजना के शुरू होने के समय जितनी संस्थापित क्षमता थी, उसके 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त क्षमता स्थापित हो जाएगी। सिंचाई के मामले में, क्षमता में लगभग 115 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होगी जबकि आयोजना-लक्ष्य 137 लाख हेक्टेयर का था।

45. इस समय जबकि हम सातवीं आयोजना का समारम्भ करने जा रहे हैं, हमारा मुख्य कार्य पिछले लाभों को पक्का करना और उत्पादकता बढ़ाने के अभियान को नया बल प्रदान करना और इसके साथ-साथ वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिरता की सुनिश्चित व्यवस्था करना है। वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्यों को किए जाने वाले अधिक राशियों के अन्तरण और दिए जाने वाले अनुदानों, और रक्षा तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी अनिवार्य आयोजना-भिन्न व्यय को हिसाब में लेने पर, 1985-86 में आयोजना के लिए उपलब्ध होने वाले बजटीय साधन हमारी कुल आवश्यकताओं से काफी कम बैठते हैं।

46. इन साधनों का आवंटन करने के मामले में, मैंने विशेष रूप से राज्यों की आयोजनाओं के लिए ज्यादा केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता का ध्यान रखा है, क्योंकि अन्यथा बहुत से राज्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी निर्माणधीन परियोजनाओं को भी बचाने की स्थिति में नहीं होंगे। राज्यों की 1984-85 की आयोजनाओं का अनुमोदन करते समय, यह आशा की गई थी कि राज्यों के अपने बजट साधनों और उनके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अंशदानों के रूप में 5,740 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होगी। सबसे हाल के मूल्यांकनों से चालू वर्ष के लेन-देनों में 2,300 करोड़ रुपए की कमी होने का संकेत मिला है।

47. वर्ष 1985-86 में राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता को बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ रुपए किए जा रहा है, जबकि 1984-85 में यह राशि 4,313 करोड़ रुपए की थी, और इस प्रकार पिछले वर्ष केन्द्रीय सहायता में 13 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1985-86 में 39 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। राज्यों को पहले से अधिक अर्थात 1,600 करोड़ रुपए के बाजार ऋण देने का भी प्राधिकार दिया गया है, जो 1984-85 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। अन्य अन्तरणों के साथ-साथ केन्द्रीय सहायता और बाजार ऋणों में इस वृद्धि से आयोजना के सम्बन्ध में केन्द्र के अपने साधनों में काफी कमी हुई है।

48. कई राज्यों में चुनावों को देखते हुए, राज्यों की वार्षिक आयोजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आशा है कि आगामी कुछ सप्ताहों में राज्यों की आयोजनाओं को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आयोजना के सम्बन्ध में तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय अन्तरणों में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए, केन्द्र के

साधनों पर पहले से ही काफी दबाव पड़ा हुआ है, और केन्द्र के लिए राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ओवरड्राफ्टों का अतिरिक्त भार सहन करना संभव नहीं होगा क्योंकि अन्ततः यह भार आदमी को ही उठाना पड़ता है। केन्द्रीय सहायता, बाजार ऋणों और अनुबंधित उधारों में काफी वृद्धि होने के बावजूद, राज्यों के लिए एक यथोचित आयोजना परिव्यय की व्यवस्था करना तभी सम्भव हो पाएगा, यदि वे अपेक्षाकृत अधिक साधन जुटाने और राज्यों के उद्यमों के कार्यचालन को सुधारने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास करेंगे।

49. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 640 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय निर्धारित किया गया है, जबकि 1984-85 में इनके लिए 558 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था। 578 करोड़ रुपए की व्यवस्था केन्द्रीय बजट में की गई है और शेष 62 करोड़ रुपए की राशि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष के दौरान अतिरिक्त साधन जुटाने के उपाय करके पूरी की जाएगी।

50. वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय आयोजना की राशि 18,500 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जबकि 1984-85 में यह 17,351 करोड़ रुपए की थी। साधनों की तंगी को देखते हुए, क्षेत्र-वार प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय मैंने यह उचित समझा है कि नई परियोजनाओं को शुरू करने की बजाए उन परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाये जिन्हें पहले से कार्यान्वित किया जा रहा है। मेरी यह भी कोशिश है कि उन परियोजनाओं के लिये अधिक व्यवस्था की जाये जिनके कार्यान्वयन में काफी प्रगति हो चुकी है और जिन्हें अधिक जल्दी चालू किया जा सकता है, ताकि अर्थव्यवस्था को उनके लाभ यथासंभव प्राप्त होने लगें। अपने भाषण में इससे पहले मैंने कृषि क्षेत्र के बढ़िया कार्यनिष्पादन का उल्लेख किया था। कृषि में निवेश के लिये राज्य सरकारों के प्रयत्नों को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय आयोजना में कृषि और सहकारिता विभाग, तथा कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग के लिये 790 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। गुना और आंवला के नये उर्वरक कारखानों के लिये, जिनकी स्थापना हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से लाई जाने वाली बम्बई हाई की गैस के आधार पर की जानी है, 165 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

51. केन्द्रीय आयोजना में ग्रामीण विकास के लिये कुल 932 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्यों की आयोजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये लगभग चालू वर्ष जितनी ही व्यवस्था की गई है और जरूरत पड़ने पर उसमें और वृद्धि कर दी जायेगी। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये मंजूरी दी गई है। 1985-86 में इस कार्यक्रम पर 400 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा।

52. सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली के ढांचे के पुनर्गठन पर जो बल दिया जा रहा है, सम्मानित सदस्य उससे भली भांति परिचित हैं। हम एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में लगे हुये हैं। सरकार समूचे देश में उच्च माध्यमिक स्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिये वचनबद्ध है। केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिये कुल 221 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें इन नए प्रयासों के लिये की गई व्यवस्था शामिल है।

53. सन् 2000 तक जनन में निवल वृद्धि की शून्य दर प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप, सरकार स्वैच्छिक आधार पर परिवार नियोजन के एक कल्पनाशील कार्यक्रम को शुरू करेगी। समग्र विकास के सन्दर्भ में, बच्चों की मृत्यु और अस्वस्थता दर को कम करने के प्रभावी प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधान के परिणामों का कारगर ढंग से उपयोग करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के परिव्यय को बढ़ा कर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

54. गांवों में पेय जल की पूर्ति की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिये सरकार ने छठी आयोजना की अवधि में त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम शुरू किया था। सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि छठी आयोजना की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए धन-राशियों का आबंटन, 600 करोड़ रुपए के मूल परिव्यय की तुलना में, 925 करोड़ रुपए से भी अधिक होगा और इससे राज्य इसी आयोजना-अवधि में लगभग दो लाख समस्याग्रस्त गांवों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने में समर्थ हुए हैं।

55. भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण और विकास में योगदान देने की विपुल क्षमता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मंत्रालयों तथा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महासागर विकास और इलेक्ट्रानिकी जैसे विभागों के लिए 1,068 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है।

26. ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार तेल पर मौजूदा निर्भरता को धीरे-धीरे बदल कर और मध्यमावधि में उसके स्थान पर कोयले और बिजली के उपयोग की आवश्यकता को काफी महत्व देती है। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि छठी आयोजना अवधि के अन्त तक 14,000 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली के उत्पादन की क्षमता और जुड़ जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आयोजना के आरम्भ में जो 28,448 मेगावाट की क्षमता थी उसमें लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अकेले केन्द्रीय क्षेत्र में ही, छठी आयोजना के दौरान 3,350 मेगावाट तक की अतिरिक्त क्षमता और जोड़ दी गई है। 1985-86 में विद्युत विभाग के लिए 2,090 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जबकि 1984-85 के लिए 1,446 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था।

57. कोयला उत्पादन के क्षेत्र में, 1984-85 के दौरान 14.75 करोड़ मेट्रिक टन का

उत्पादन प्राप्त किए जाने की आशा है। 1985-86 में इसको बढ़ाकर 15.85 करोड़ मेट्रिक टन कर दिया जाएगा। कोयला विभाग के लिए 1,102 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

58. माननीय सदस्य इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कच्चे तेल के उत्पादन की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है और कच्चे तेल का उत्पादन जो छठी आयोजना के आरम्भ में 114 लाख मेट्रिक टन था, बढ़कर इस वर्ष के अन्त तक 294 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा। 1982-83 में शुरू किए गए त्वरित उत्पादन कार्यक्रम के फलस्वरूप ही यह सम्भव हो पाया है, जिससे बम्बई हाई में वार्षिक उत्पादन जो 1979-80 में 42 लाख मेट्रिक टन का था, बढ़कर अब 203 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम विभाग के लिए 3,261 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय गैस प्राधिकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो कि गैस की पाइपलाइनों का निर्माण करने वाला नव-निर्मित संगठन है।

59. सरकार को हमारे वनों के परिरक्षण की चिन्ता है इसलिए उसने वन और वन्य जीवन विभाग नामक एक अलग विभाग की स्थापना की है। इस विभाग के लिए लगभग 54 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, जिसमें सामाजिक वनपालन और ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के बागान लगाने के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

60. पर्यावरण विभाग के लिए लगभग 36 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें गंगा के प्रदूषण की रोकथाम की परियोजना पर कार्रवाई शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। पर्यावरण संबंधी अन्य प्रमुख कार्यक्रमों का उद्देश्य प्राथमिकता-प्राप्त पर्यावरणिक अध्ययन के लिए उन्नत केन्द्रों की स्थापना के अलावा, जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का परिवीक्षण (मानीटरिंग) करना, अत्यन्त निकृष्ट अथवा कमजोर क्षेत्रों में पारिस्थितिक विकास और अनुसंधान तथा विकास करना है।

61. हालांकि एक काफी बड़ी राशि वचन-बद्ध आयोजना-भिन्न दायित्व के रूप में राज्यों को अन्तरित की गई है, तथापि केन्द्रीय आयोजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को फायदा पहुंचाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 207 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजना में केन्द्र के अंशदान को बढ़ाकर 165 करोड़ रुपए कर दिया गया है। श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

62. सरकार ने देश में दूरदर्शन के जाल के विस्तार के लिए जुलाई, 1983 में एक योजना अनुमोदित की थी। इस योजना के अन्तर्गत देश में बहुत से उच्च शक्ति और निम्न शक्ति वाले ट्रान्समीटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी ताकि दूरदर्शन के कार्यक्रम देश की 70 प्रतिशत जनता तक पहुंच सकें। 31 मार्च, 1985 तक इन ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़कर 180

हो जाएगी। सूचना और प्रसारण के लिए 1985-86 में .10 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

63. वर्ष 1985-86 की वार्षिक आयोजना में जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं उनसे 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में और तेजी आएगी। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आयोजना में अगले वर्ष के लिए कुल मिलाकर 4,900 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है जो चालू वर्ष के 4,141 करोड़ रुपए की तुलना में 18.3 प्रतिशत अधिक है।

64. तथापि मैं इस बात पर अवश्य बल देना चाहूंगा कि आयोजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए वित्तीय आवंटनों की ही जरूरत नहीं होती बल्कि उसके लिए परियोजनाओं के बेहतर निर्माण और कुशल प्रबन्ध की भी आवश्यकता होती है। आयोजना का अधिक तेजी से कार्यान्वियन करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कतिपय परिवर्तन करने का विचार है। प्रशासनिक मंत्रालयों के लिए यह जरूरी होगा कि पूंजी लगाने का निर्णय लेने से पहले वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था कर लें कि परियोजाएं पूरी तरह से तैयार कर ली गई हैं और कार्यपालक प्राधिकारी उनके कार्यान्वियन के लिये आवश्यक प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी कर चुके हैं। इसलिये यह निर्णय किया गया है कि परियोजनाओं के लिये बजट व्यवस्था किये जाने से पहले विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाये। वार्षिक आयोजना को अन्तिम रूप देने और लेखानुदान प्राप्त करने के कार्य को कुछ समय पहले सम्पन्न करने के उपायों पर विचार भी किया जा रहा है ताकि वित्तीय वर्ष शुरू होने से काफी पहले ही यह पता चल सके कि कितनी धनराशियां उपलब्ध होने वाली हैं। इन उपायों से पूरे वर्ष के दौरान परियोजनाओं का कार्यान्वियन एक समान रूप से चलता रहेगा। और वर्ष के अन्तिम दिनों में एक साथ इकट्ठा व्यय करने से बचा जा सकेगा।

65. आयोजना-भिन्न व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। अगले वर्ष के बजट में, आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को अधिक धनराशियों के अन्तरण की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान देने के लिये 1,215 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जबकि 1984-85 के बजट अनुमानों में 518 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी।

66. अगले वर्ष रक्षा के लिये 7,686 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें रक्षा सम्बन्धी पेंशनें शामिल नहीं हैं। ऋण की राशियों और उनकी लागत में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ब्याज की अदायगियों के लिये 7,075 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। खाद्य पर आर्थिक सहायता के लिये 1,100 करोड़ रुपये, घरेलू उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के लिये 1,200 करोड़ रुपये और आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के लिये 601 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निर्यात प्रोत्साहन और बाजार विकास के लिये 530 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है दूर-संचार सेवाओं से डाक सेवाओं को अलग कर दिये जाने के परिणाम-

फलस्वरूप अगले वर्ष के बजट के विविध अनुमानों में डाक सेवाओं के खाते में 187 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। अल्प बचतों की अधिक राशियां इकट्ठी होने के कारण, इन राशियों के आधार पर राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों की राशि 2,375 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

67. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों, पेंशन सम्बन्धी राहत, आदि की अदायगी के लिये 1985-86 में 300 करोड़ रुपए की एक मुश्त व्यवस्था की गई है। छठी आयोजना की अवधि में पूरी की गई आयोजनागत-योजनाओं के वचन-बद्ध व्यय के लिए भी व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं को अन्य व्यवस्थाओं हिसाब में लेते हुये, अनुमान है कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 29,740 करोड़ रुपए के मुकाबले में, 1985-86 में 32,786 करोड़ रुपये का आयोजना-भिन्न व्यय होगा।

68. अब मैं एक ऐसे मामले का उल्लेख करना चाहूंगा जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित है। मुझसे पूर्ववर्ती माननीय वित्त मंत्री जी ने 1983-84 के बजट में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। यह आयोग जो जुलाई, 1983 में नियुक्त किया गया था अभी तक अपना काम कर रहा है। इस बीच बहुत से सरकारी कर्मचारी ऊंची पेंशन का लाभ पाए बिना ही सेवा निवृत्त हो गए हैं जिसकी उन्हें आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप मिलने की आशा थी। इस समय, पेंशन की राशि निर्धारित करते हुये कर्मचारी के वेतन और उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के 320 के औसत स्तर तक स्वीकृत मंहगाई भत्ते के अंश को हिसाब में शामिल किया जाता है। मंहगाई भत्ते की अन्तिम किस्त उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक 568 के औसत स्तर के अनुसार स्वीकृत की जा चुकी है। 31 मार्च, 1985 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राहत देने के उपाय के रूप में अब मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के 568 के औसत स्तर के- अनुसार स्वीकृत समस्त मंहगाई भत्ते की राशि को, सेवा-निवृत्ति लाभ के प्रयोजन के लिए; वेतन माना जाए। साथ ही मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि पेंशन के मामले में, 1,500 रुपए प्रति मास की वर्तमान उच्चतम सीमा को हटा दिया जाए और मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान की उच्चतम सीमा को 36,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया जावे। सदन इस विषय में मुझसे सहमत होगा कि जिन लोगों ने अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्षों को देश की सेवा में समर्पित किया हो वे अवश्य ही उस सहायता के पात्र हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं।

69. जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है कराधान के मौजूदा स्तरों पर 25,514 करोड़ रुपए का सकल कर-राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में चालू वर्ष में इसका अनुमान 23,702 करोड़ रुपए का है। करों में राज्यों का हिस्सा चालू वर्ष के 5,777 करोड़ रुपए की तुलना में 6,592 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें से 487 करोड़ रुपये की वृद्धि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अगले वर्ष से बुनियादी उत्पाद-शुल्कों में राज्यों के हिस्से को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किये जाने के कारण हुई है। रेलवे से मिलने वाला लाभांश चालू वर्ष की तुलना में 303 करोड़ रुपये अधिक होगा।

70. बाजार ऋणों से चालू वर्ष के 4,100 करोड़ रुपए की तुलना में 5,100 करोड़

रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है। अल्प बचतों के संग्रह की राशि चालू वर्ष के 3,300 करोड़ रुपये की तुलना में 3,900 करोड़ रुपए आंकी गई है। वापसी अदायगी की राशि को घटाने के बाद निवल विदेशी सहायता की राशि चालू वर्ष के 2,146 करोड़ रुपए की तुलना में 2,510 करोड़ रुपए होगी। इन प्राप्तियों को और प्राप्तियों में होने वाली अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेने पर, 1985-86 में कुल 47,635 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। इन प्राप्तियों में रेल किरायों और भाड़े में किए जाने वाले संशोधन के प्रभाव को हिसाब में ले लिया गया है। कुल व्यय अनुमानत: 51,295 करोड़ रुपए का होगा। इस प्रकार, कराधान की वर्तमान दरों पर बजट में कुल मिलाकर 3,660 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

71. बजट तैयार करना एक वार्षिक अनुष्ठान है, लेकिन इसे सार्थक बनाने के लिए यह जरुरी है कि इसे एक अधिक लम्बी कालावधि के सन्दर्भ में तैयार किया जाए। हमारी राजकोषीय प्रणाली हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में वस्तुगत परिस्थितियां बदल गई हैं, जिनके सम्बन्ध में नए व्यवहार की आवश्यकता है। मैं यह भली भांति जानता हूं कि सभी परिवर्तन एक-साथ करना संभव नहीं है, फिर भी हमें सुधार की प्रक्रिया की शुरूआत करनी है, जिसे चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित समयावधि में पूरा किया जा सके। हम एक ऐसी दीर्घावधिक राजकोषीय नीति तैयार करने की दिशा में अग्रसर होंगे, जिसका कार्य-काल आयोजना के साथ समाप्त होता हो। मैं बजट सत्र समाप्त होने के बाद इस विषय पर विचार-विमर्श शुरू करने की आशा करता हूं।

72. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है: विकास, उत्पादकता और बचत के वातावरण का निर्माण करना। प्रत्यक्ष कराधान की जो प्रणाली इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है, उससे कर-अनुपालन भी बेहतर होगा और वह अधिक न्यायोचित भी होगी।

73. वैयक्तिक आय-कर के सम्बन्ध में हमारी पद्धति इस प्रकार है। सर्वप्रथम वैयक्तिक आय-कर की दर को पुन:निर्धारित किया जाना चाहिए और उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए, ताकि दर-ढांचा सरल और तर्कसंगत हो जाए। कर-ढांचे की प्रगामिता को बनाए रखते हुए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वैयक्तिक आय और धन पर करों की दरों का संयुक्त प्रभाव प्रतिकूल न हो। दूसरे, छूट-सीमा इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए की छोटे कर-निर्धारण के मामले, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है, समाप्त कर दिए जाएं और निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों को राहत प्रदान की जाए। तीसरे, कर-ढांचा स्थिर होना चाहिए। चौथे, कर-अपवंचन को कम करने के काम में प्रशासनिक तंत्र का अधिक कारगर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कर-निर्धारण में अधिक जोर, बहुत अधिक संख्या में विवरणियों को नेमी जांच पर दिए जाने की बजाए, नमूने के तौर पर कुछ मामलों की गहरी छानबीन करने पर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पांचवें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर-अपवंचन

का पता लगने पर तुरन्त और कड़ा दण्ड दिया जाए। छठे, यदि किसी कर की उपयोगिता समाप्त हो गई हो तो, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही प्रशंसनीय क्यों न हो, उसे संविधिक-पुस्तक में से हटा दिया जाना चाहिए।

74. भारत में निगम-कर की सांविधिक दर ऊंची है, लेकिन विभिन्न छूटों के कारण उसकी प्रभावी दर काफी कम है। हांलाकि प्रत्येक छूट का कोई औचित्य होता है, लेकिन, कुल मिलाकर, इन सभी छूटों का संयुक्त प्रभाव यह होता है कि कर-आधार संकुचित हो जाता है। इसके अलावा, मौजूदा प्रणाली से भिन्न-भिन्न करदाताओं पर बहुत भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। इस पेचीदा प्रणाली ने कभी खत्म न होने वाली मुकदमेबाजी को जन्म दिया है और इससे हिसाब-किताब बनाने वालों, और उनकी जांच करने वालों को मनचाही करने की व्यापक छूट मिली हुई है।

75. निगम-कराधान के क्षेत्र में चालू वर्ष के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य कुछ छूटों को समाप्त करके और दरों को युक्तिसंगत बनाकर इनकी दिशा में परिवर्तन लाना है। फिलहाल मैं अपनी पूरी मंजिल तय नहीं कर रहा हूं; अंशतः राजस्व सम्बन्धी अपेक्षाओं के कारण से और अंशतः इस कारण से कि अब जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जा रहा है, मैं उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों के विचारों से लाभ उठाने के लिए, मैं निगम-करों के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव रखूंगा, जिन्हें अगले दो वर्षों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। मेरा विचार है कि इन मुद्दों पर खुलकर वाद-विवाद होना जरूरी है ताकि हम जो निर्णय लें वे सही हों। मैं वित्त विधेयक पर होने वाले वाद-विवाद पर अपना उत्तर देते समय इस बारे में सरकार के निर्णयों की घोषणा करूंगा ताकि इस विषय में कोई अनिश्चितता न रहे।

76. जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, मेरा तत्कालिक कार्य ऐसे परिवर्तन करना है, जिनसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में निवेश की लागत में कमी हो, लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिले और कतिपय अन्य विकृतियां दूर हों। वर्ष के दौरान, मैं ऐसे अन्य अपेक्षित परिवर्तनों पर विचार करूंगा, जिनसे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अर्थव्यवस्था के और आगे विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सके।

77. मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार, बिना किसी भय या पक्षपात के, अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है, और जो लोग कर-अपवंचन अथवा अन्य आर्थिक अपराध करेंगे, वे अपने आपको खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे।

78. अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों की ओर आता हूं। पहले मैं प्रत्यक्ष करो के क्षेत्र के प्रस्तावों को लूंगा।

79. मैं वैयक्तिक आय-कर की छूट-सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ा कर 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके फलस्वरूप लगभग 40 लाख कर-निर्धारितों में से करीब 10 लाख

निर्धारितियों को कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा।

80. मेरा वैयक्तिक आय की दर-अनुसूची का पुनर्गठन करने का भी प्रस्ताव है। 18,000 रुपए के "शून्य" दर खंड के बाद, 18,001 रुपए से 25,000 रुपए तक के खंड पर आय-कर की दर 25 प्रतिशत होगी ; 25,001 रुपए से 50,000 रुपए तक के खंड पर 30 प्रतिशत की दर, 50,001 रुपए से 1 लाख रुपए तक के खंड पर प्रतिशत की दर, और 1 लाख रुपए से अधिक की आय पर 50 प्रतिशत की दर लागू होगी। नई दर-अनुसूची के अनुसार, आय के सभी स्तरों पर कर में कमी होगी। 20,000 रुपए की कर-आय पर नई दर-अनुसूची के अन्तर्गत कर-राहत, चालू दरों पर लगने वाले आय-कर के 50 प्रतिशत के बराबर होगी ; 25,000 रुपए की कर-योग्य आय पर 22 प्रतिशत राहत प्राप्त होगी ; 50,000 रुपए की कर-योग्य आय पर 18 प्रतिशत राहत मिलेगी और 1 लाख रुपए की आय पर 17 प्रतिशत राहत मिलेगी। कर की दरों के खंडों को आठ से घटा कर चार कर दिए जाने से दर-अनुसूची सरल हो जाएगी। ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों पर लागू होने वाली दर-अनुसूची को भी, जिनके एक या एक से अधिक सदस्य की अलग आय छूट की सीमा से अधिक हो, परिणामतः पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है।

81. मैं सभी श्रेणियों के निगम-भिन्न करदाताओं के मामले में आय-कर पर अधिभार को समाप्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

82. प्रस्तावित संसाधनों से, वैयक्तिक आयों पर आय-कर की अधिकतम सीमान्तिक दर 61,875 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत हो जायेगी। वस्तुतः, कर की औसत दर इससे भी कम होगी।

83. कर-ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्तावों से 1985-86 के वित्तीय वर्ष में राजस्व में आय-कर के सम्बन्ध में 200 करोड़ रुपए और अधिभार के सम्बन्ध में 197 करोड़ रुपए की हानि होने का हिसाब लगाया गया है। लेकिन, कर की दरों में कमी होने के परिणामस्वरूप जो बेहतर अनुपालन होगा, उसे हिसाब में लेने पर वास्तव में 197 करोड़ की हानि होने का अनुमान है, और वह भी अधिभार के मामले में। यह समूची हानि केन्द्र के खाते में होगी।

84. हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में किए गये वायदे को पूरा करने के लिए, कर-दाताओं से सम्बन्धित अनिवार्य जमा योजना को 1 अप्रैल, 1985 से समाप्त किया जा रहा है। किन्तु, अर्थोपाय सम्बन्धी समग्र स्थिति को देखते हुए, मेरा यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव है कि पहले जमा की गई राशियों से सम्बन्धित उन किस्तों और ब्याज की वापसी अदायगियां एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएं, जो वित्तीय वर्ष 1985-86 में देय होंगी। (व्यवधान) तथापि, आपको यह अदायगी इस वर्ष नहीं करनी पड़ेगी। अदा न की जाने वाली राशि पर ब्याज जमा होता रहेगा और यह 1986-87 में वापसी-अदायगी के लिए देय किस्तों के साथ उस वर्ष वापस अदा कर दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आज सायं एक अलग विधेयक प्रस्तुत करने का मेरा विचार है।

85. धन-कर के ढांचे की जांच अनेक उच्च-शक्ति प्राप्त निकायों द्वारा की गई है, जिनमें संसद की प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति भी शामिल हैं। उनके द्वारा अनेक सुझाव दिए गए हैं, ताकि धन-कर की प्रणाली को ऐसा बनाया जा सके जिससे कि अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश को बढ़ावा देने में अधिक सहायता मिले। कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए, 1,50,000 रुपए की मौजूदा बुनियादी छूट-सीमा को भी अपर्याप्त समझा गया है। यह स्मरण रहे कि 1 लाख रुपए की सीमा काफी पहले अर्थात् 1964 में निर्धारित की गई थी। इन बातों पर विचार करते हुए, मैं धन-कर की छूट-सीमा को बढ़ाकर 2,50,000 रुपए करने और 2,50,000 रुपए तक के निवल धन के सम्बन्ध में "शून्य" दर खंड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा धन-कर की दर-अनुसूची को पुनर्गठित करने का भी प्रस्ताव है। नई दर-अनुसूची के अन्तर्गत, 2,50,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक के खंड पर धन-कर की दर ½ प्रतिशत, 10,00,001 रुपए से 20,00,000 रुपए तक के खंड पर 1 प्रतिशत, और 20,00,000 रुपए से ऊपर के खंड पर 2 प्रतिशत होगी। इस प्रकार, अधिकतम सीमान्तिक दर 5 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रह जाएगी। मेरा ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों पर लागू होने वाली दर-अनुसूची को भी पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है, जिनके एक या एक से अधिक सदस्य के पास, स्वतन्त्र रूप से, छूट की सीमा से अधिक धन हो।

86. एक मकान के 2 लाख रुपए तक के मूल्य को धन-कर से छूट प्राप्त है। करदाता को 2,65,000 रुपए तक के कुल मूल्य की विनिर्दिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में भी धन-कर से छूट पाने का हक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशियों के सम्बन्ध में 35,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाती है। मैं इन अलग-अलग छूट-सीमाओं के स्थान पर, जो कुल मिलाकर 5 लाख रुपए की है, इन सभी परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में 5 लाख रुपए की समेकित छूट-सीमा रखने का प्रस्ताव करता हूं।

87. धन-कर से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों से 1985-86 के वित्तीय वर्ष में कोई हानि नहीं होगी। हालांकि वित्तीय वर्ष 1986-87 में 70 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है, फिर भी मुझे आशा है कि बेहतर कर-अनुपालन से कुछ समय पाकर राजस्व में कोई हानि नहीं होगी।

88. चूंकि धन-कर और सम्पदा-शुल्क दोनों से सम्बन्धित कानून एक ही व्यक्ति की सम्पत्ति पर लागू होते हैं—धन-कर उसकी सम्पत्ति पर उसकी मृत्यु से पहले लागू होता है और सम्पदा-शुल्क उसकी मृत्यु के बाद—इसलिए एक ही सम्पत्ति के सन्दर्भ में दो अलग-अलग कानूनों के अस्तित्व के करदाताओं और मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को प्रक्रिया सम्बन्धी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें दो भिन्न-भिन्न कानूनों के उपबन्धों का पालन करना पड़ता है। दोनों कानूनों के सापेक्षिक गुणावगुणों पर विचार करने के बाद, मेरा मत है कि सम्पदा-शुल्क से वे दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए, जिनके लिए यह लागू किया गया था, अर्थात् धन के असमान वितरण को कम करना और राज्यों को उनकी विकास योजनाओं के वित्तपोषण में सहायता देना। सम्पदा शुल्क से केवल लगभग 20 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके प्रशासन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 16 मार्च, 1985 को या उसके बाद होने वाली

मृत्युओं पर संक्रान्त होने वाली सम्पदाओं के सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क समाप्त कर दिया जाए। मैं इस प्रयोजन के लिए यथासमय समुचित विधान प्रस्तुत करूंगा।

89. मैंने अपने भाषण में इससे पहले कतिपय उपायों का उल्लेख किया था जो सरकार औद्योगिक और अन्य कामगारों के लाभ के लिए करने का प्रस्ताव करती है। इन उपायों में से कुछ उपाय हैं:—कम्पनियों के बन्द हो जाने की स्थिति में कामगारों की देय राशियों को प्रत्याभूत लेन-दारों जैसी ही प्राथमिकता देने का प्रस्ताव, बोनस की सीमा में प्रस्तावित वृद्धि और कर्मचारियों तथा कामगारों के लिए एक स्टाक विकल्प योजना की शुरूआत। वैयक्तिक कराधान की छूट-सीमा को बढ़ा दिये जाने से, अधिकांश औद्योगिक कामगारों को कोई आय-कर नहीं देना पड़ेगा। उनको कुछ और राहत देने के उपाय के रूप में, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उनको प्राप्त होने वाली छंटनी सम्बन्धी मुआवजे की कर-मुक्त राशि की अधिकतम मौद्रिक सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया जाए। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले छंटनी सम्बन्धी मुआवजे को पूरी तरह से कर-मुक्त रखा जाए। मैं सम्मानित सदस्यों को यह भी बतला दूं कि सरकार एक ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत कामगारों को प्रबन्ध कार्य में शामिल करने के लिए उद्योगों को प्रोत्सा-हित किया जायेगा, और यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रयोजन के लिए समुचित राजकोषीय प्रोत्सा-हन भी दिये जाएंगे।

90. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा की गई एक व्यवस्था के अन्तर्गत वेतनभोगी करदाताओं को उनके नियोजकों द्वारा कतिपय प्रयोजनों के लिए ब्याज की रियायती दरों पर दिये गये ऋणों अथवा ब्याज-मुक्त ऋणों के रूप में प्राप्त होने वाली परिलब्धि पर कर लगता है। वेतनभोगी करदाताओं को और राहत देने के उपाय के रूप में इस व्यवस्था को निरसित करने का प्रस्ताव करता हूं।

91. स्वदेशी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये कुछ और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई जानकारी (नो-हाऊ) के लिये उन्हें प्राप्त एकमुश्त प्रतिफल को तीन वर्षों की अवधि में फैलाकर उस पर तदनुसार कर लगाया जाए। मैं एक ऐसी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिसके अन्तर्गत उद्योग जानकारी प्राप्त करने के लिये अदा किए गये एकमुश्त प्रतिफल को छः वार्षिक किस्तों में अपलिखित (राइट-ऑफ) कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहां जानकारी सरकारी प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र की कम्प-नियों की प्रयोगशालाओं और अन्य मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में विकसित की गई हो, तीन वर्ष की अवधि में अपलेखन की अनुमति दी जायेगी।

92. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों, और शब्दकोशों आदि के लेखकों को ऐसी पुस्तकों के सम्बन्ध में रायल्टी, प्रतिलिप्यधिकार-शुल्क आदि के रूप में प्राप्त आय के 25 प्रतिशत भाग की कटौती करने का हक प्राप्त है। यह रियायत चालू

निर्धारण-वर्ष के साथ समाप्त हो रही है। ऐसी पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं इस रियायत को और पांच वर्ष तक जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

93. मैं इन्दिरा गांधी स्मारक न्यास में दिए जाने वाले दान को राष्ट्रीय महत्व की अन्य निधियों में दिये जाने वाले दान के समकक्ष बनाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं एक ऐसी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में दिए गए दानों की राशियां 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र होंगी जबकि इस समय उन पर केवल 50 प्रतिशत कटौती करने की अनुमति है।

94. कर-अपवंचकों को सबक सिखाने की आवश्यकता के सन्दर्भ में, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को दंडात्मक उपबन्धों से उन्मुक्ति देने का कोई औचित्य नहीं है जो उसी समय अपनी आय प्रकट करते हैं जब उनको अपराध में फंसाने वाली खाता-बहियां और परिसम्पत्तियां आय-कर विभाग के द्वारा उनके कब्जे में पकड़ ली जाती हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे मामलों में दंडात्मक उपबंधों से उन्मुक्ति देने के लिये कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा किये गये उपबन्धों को हटा दिया जाए।

95. कर-अपवंचकों के विरुद्ध चालू की गई आपराधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विचारण करने के लिये शक्ति-सम्पन्न विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने का भी मेरा विचार है।

96. कर-परिवर्तन की रोकथाम के उपाय के रूप में, मैं आय-कर अधिनियम की धारा 167क में मौजूद एक कमी को दूर करने के लिए यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि व्यक्तियों के एक संगम पर अधिकतम सीमान्तिक दर से आय-कर लगेगा, यदि उसकी आय के एक भाग में भी, सदस्यों का व्यक्तिगत हिस्सा अनवधार्य या अज्ञात हो। वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा किए गए एक उपबन्ध के अन्तर्गत, पूर्त और धार्मिक न्यासों द्वारा प्राप्त कारबार-लाभ, कतिपय मामलों को छोड़कर, आय-कर से मुक्त नहीं हैं। इसी उपबन्ध के अनुरूप, मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे न्यासों के कारबार की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में धन-कर से भी कोई छूट नहीं मिलेगी।

97. अब मैं निगम-कर से सम्बन्धित प्रस्तावों की ओर आता हूं।

98. वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए, मैं कम्पनियों पर लागू होने वाली आय-कर की बुनियादी दरों में 5 प्रतिशत अंकों की कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय, अल्पजन-धारित औद्योगिक कम्पनियों पर, अन्य अल्पजन-धारित कम्पनियों की तुलना में, कम दर पर कर लगता है। मैं व्यापारिक और निवेश-सम्बन्धी कम्पनियों को छोड़कर, बाकी सभी अल्पजन-धारित कंपनियों के लिए एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके फलस्वरूप, अल्पजन-धारित कम्पनियों की कतिपय श्रेणियों के मामले में आय-कर की बुनियादी दर 65 प्रतिशत से 10 प्रतिशत

अंश कम होकर 55 प्रतिशत रह जाएगी। इससे, खासतौर से, ऐसी कम्पनियों को लाभ पहुंचेगा जो रोजगार-प्रधान कार्यकलाप चलाती हैं, जैसे कि परामर्श और विज्ञापन सेवाएं और पर्यटन संवर्धन सेवाएं।

99. निगम और निगम-भिन्न दोनों क्षेत्रों के लिए कर की दरों में प्रस्तावित कमी के साथ-साथ कुछ रियायतों को वापस लेना भी जरूरी होगा। 1980 में की गई एक व्यवस्था के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985 तक की पांच वर्ष की अवधि में संस्थापित मशीनरी और संयंत्र के सम्बन्ध में अतिरिक्त मूल्यह्रास स्वीकार किया जाता है। चालू निर्धारण वर्ष से कर की दरों में प्रस्तावित कमी और मूल्यह्रास की छूट की सामान्य दर में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि के सन्दर्भ में, मैं 31 मार्च, 1985 के बाद संस्थापित मशीनरी और संयंत्र के संबंध में अतिरिक्त मूल्यह्रास की स्वीकृति को आगे जारी रखना आवश्यक नहीं समझता।

100. एक वर्तमान उपबन्ध के अन्तर्गत, कम्पनियों और सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों पर किया गया व्यय, उनके कर-योग्य मुनाफों का निर्धारण करते हुए हिसाब में नहीं लिया जाता। हालांकि उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय रियायत देना सही उपाय नहीं है। इसलिए मैं इस रियायत को खत्म करने का प्रस्ताव करता हूं, सिवाय उन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में 17 मार्च, 1985 से पहले विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। पुस्तकों के प्रकाशन से प्राप्त मुनाफों के सम्बन्ध में अनुमत कर-छूट को, जो निर्धारण वर्ष 1985-86 के साथ समाप्त हो जाएगी, आगे जारी रखने का प्रस्ताव नहीं है। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय कम्पनियों द्वारा कतिपय विदेशी कम्पनियों से प्राप्त लाभांशों के सम्बन्ध में दी जा रही कर सम्बन्धी रियायत को वापस ले लिया जाए।

101. इस समय कर-छुट्टी की रियायत उन औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध है जो 1 अप्रैल, 1985 से पहले उत्पादन शुरू कर देंगे; इस तारीख से पहले कार्य शुरू करने वाले होटल और उपयोग में लाए जाने वाले जहाज भी इस रियायत के पात्र हैं। मैं इस रियायत को और पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

102. निर्यात के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समूची अर्थव्यवस्था में भी, हमारे निर्यातकर्ताओं की उत्पादकता और कार्य-कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि उन्हें आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिक स्तरवर्द्धन, उत्पादन विकास और अन्य कार्यकलापों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जायें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं आय-कर अधिनियम की धारा 80ववव के अन्तर्गत दी जा रही कर सम्बन्धी रियायत के स्थान पर एक नई व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत, निर्यातकर्ताओं को उनके निर्यात से हुए मुनाफों की 50 प्रतिशत तक की राशि की कटौती करने का हक होगा और इस राशि को एक आरक्षित खाते में जमा करना होगा जिसका उपयोग उनके कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

103. चाय उद्योग द्वारा नई मशीनरी, नए पौधारोपण और पौधों के पुनरारोपण आदि में निवेश करने के प्रयोजनों के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए, मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि भारत में चाय उगाने और उसका विनिर्माण करने के कारबार में लगी हुई कम्पनियों को उनके मुनाफों की 20 प्रतिशत राशि तक की कटौती करने का हक होगा; यह राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास एक विशेष खाते में जमा करानी होगी। इस खाते में से रकमों की निकासी चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ही करने की अनुमति होगी।

104. बैंकों की बढ़ती हुई सामाजिक वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनके पास अधिक धनराशियां छोड़ने के उद्देश्य से मैं 31 मार्च, 1985 के बाद उत्पन्न होने वाले ब्याज के संबंध में ब्याज-कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं एक ऐसी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिसके अन्तर्गत बैंक अपने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कर की कटौती-योग्य व्यवस्थाएं कर सकेंगे जिनकी राशि मुनाफों की रकम के 10 प्रतिशत के बराबर या उनकी ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों के 2 प्रतिशत के बराबर की राशियों में से जो भी अधिक होगी उस तक हो सकेगी।

105. मैं उन उपबन्धों को भी समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं जो विज्ञापन, प्रचार और बिक्री-संवर्धन पर, वायुयान और मोटरकारों के संचालन और अनुरक्षण और होटलों को की गई अदायगियों पर, 1,00,000 रुपए से ऊपर हुए व्यय के 20 प्रतिशत भाग की अस्वीकृति के बारे में हैं। गैर-बैंककारी और गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जनता से जमा ली गई रकमों पर उनके द्वारा अदा किए गए ब्याज के 15 प्रतिशत भाग की अस्वीकृति से सम्बन्धित उपबन्ध को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है।

106. वर्तमान रियायतों में से कुछ को वापस लेने के असर और आय-कर अधिनियम की धारा 80 ञ के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के प्रभाव को हिसाब में लेते हुए, निगम क्षेत्र पर लगने वाले कर में राहत देने के मेरे प्रस्तावों के कारण 1985-86 में राजस्व में होने वाली हानि अधिप्रति सन्तुलित हो जाएगी।

107. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मेरे द्वारा प्रस्तावित अन्य परिवर्तन अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं। मैं इस समय उनका विशद विवेचन करने में सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा।

108. अब मैं निगम-कर के चरण-बद्ध सुधार से सम्बन्धित अपने प्रस्ताव की ओर आता हूं जिसके बारे में मैंने अपने भाषण के पहले भाग में कहा था।

109. योजना के अन्तर्गत यह परिकल्पना की गई है कि सभी श्रेणियों की कम्पनियों के मामले में आय-कर की बुनियादी दर में, अगले वर्ष, 5 प्रतिशत अंशों की और कमी की जाएगी। तीसरे वर्ष में, कम्पनियों द्वारा देय आय-कर पर अधिभार बन्द करने और अतिकर को खत्म करने का मेरा प्रस्ताव है। इसके साथ ही, अगले दो वर्षों में चरण-बद्ध तरीके से निवेश संबंधी

छूट की स्वीकृति को भी बंद करने का मेरा प्रस्ताव है। हो सकता है कि निवेश संबंधी छूट को वापस लेने से, उच्च वृद्धि वाले पूंजी-प्रधान उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तथापि निगम-कर में सामान्य कमी किए जाने से मुनाफे की अधिक राशियां इकट्ठी होंगी जिससे सभी कम्पनियों को फायदा पहुंचेगा। उपर्युक्त प्रस्ताव का एक विकल्प यह है कि निगम-कर और अधिभार की दरों में कोई और कमी न करते हुए निवेश-संबंधी छूट को जारी रखा जाए। इस संबंध में सम्मानित सदस्य कृपया अपने विचारों से अवगत कराएंगे; मैं उनका आभार मानूंगा।

110. अब मैं प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं।

111. पहले मैं सीमा-शुल्क को लूंगा; इस सम्बन्ध में मेरा प्रमुख प्रस्ताव कच्चे (क्रूड) पेट्रोलियम के बारे में है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष के बजट में कच्चे पेट्रोलियम पर सहायक शुल्क को 9.50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति मैट्रिक टन कर दिया गया था। मैं इसे 300 रुपए प्रति मैट्रिक टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कच्चे पेट्रोलियम पर 10 प्रतिशत का मूल्यानुसार बुनियादी सीमा-शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 620 करोड़ रुपए की राजस्व-प्राप्ति होने का अनुमान है। इस कारण और अन्य बातों की वजह से पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेंटों के उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। अन्य मामलों में, मैं 31 मार्च, 1986 तक सहायक शुल्कों को मौजूदा दरों पर जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

112. स्वदेशी बेयरिंग उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के उपाय के रूप में, मैं बाल और रोलर बेयरिंगों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क में, मौजूदा दरों के 50 प्रतिशत के बराबर की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके फलस्वरूप एक पूरे वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

113. इन वर्षों में, परियोजना-आयातों पर लागू होने वाली शुल्क की दर में वृद्धि हुई है और यह 65 प्रतिशत तक पहुंच गई है। पूंजीगत लागत को कम करने के उद्देश्य से, मैं परियोजना आयातों पर लागू होने वाली 65 प्रतिशत की मौजूदा सीमा-शुल्क की दर को सामान्य रूप से घटाकर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार करने और विद्युत परियोजनाओं के लिए किए जाने वाले आयातों पर 25 प्रतिशत की निचली दर की व्यवस्था करने और उर्वरक परियोजनाओं के लिए उपस्करों को शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं परियोजना-आयातों की 45 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर को सार्वजनिक टेलीफोन एक्सचेंज नेट-वर्क परियोजना के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इन उपायों से राजकोष को एक पूरे वर्ष में कुल 290 करोड़ रुपए की हानि होगी।

114. माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष के बजट में कागज उद्योग के लिए आयातित लकड़ी की लुगदी और लकड़ी की खपच्चियों (वुड चिप्स) के सीमा-शुल्क को घटाकर क्रमश: 30 प्रतिशत और "शून्य" कर दिया गया था। हमारे वन संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव

को कम करने के उपाय के रूप में, मैं आयातित लुगदी और खपच्चियों को पूर्णत: शुल्क-मुक्त करने और यह रियायत सभी उपयोगकर्ता उद्योगों को देने का प्रस्ताव करता हूं। कुछ विनिर्दिष्ट स्वरूपों की लकड़ी पर लगने वाले सीमा-शुल्क को 100 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का भी प्रस्ताव है। इन रियायतों से एक पूरे वर्ष में राजस्व में लगभग 17.70 करोड़ रुपए की हानि होगी।

115. मेरी टोकरी के सभी प्रस्तावों को कच्चा (क्रूड) या लकड़ीला (वुडन) नहीं कहा जा सकता। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं पवन-प्रचालित बिजली के जनित्रों और पवन-प्रचालित बैटरी चार्जरों के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क की पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। प्रदूषण-निरोधक प्रतिमानों को लागू करने में सहायता देने के उद्देश्य से, मैं निष्कासित गैस विश्लेषकों और धूएं के मीटरों (स्मोक मीटर) पर सीमा-शुल्क घटाने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन रियायतों से राजस्व में 7.54 करोड़ रुपए की कमी होगी।

116. अब मैं ऐसे उपायों का प्रस्ताव करता हूं, जिनका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। मैं बारह मदों पर, जिनमें कच्चा लोहा, कच्चा मेंगनीज, कपास, कच्चा क्रोमाइट और उसके सान्द्रण (कान्सेन्ट्रेट), पशु आहार, मेंगनीज डाइआक्साइड, सिलीमेनाइट, मूंगफली की तेलरहित खली, कच्चा ऊन, कायनाइट और ब्रिज अभ्रक शामिल हैं, लगने वाले निर्यात-शुल्कों को हटा रहा हूं। इन निर्यात-शुल्कों को हटा लिए जाने से अब केवल चार वस्तुओं, अर्थात् काफी, अनिर्मित तम्बाकू, ब्रिज अभ्रक से भिन्न अभ्रक और खालों तथा चमड़ियों पर निर्यात-शुल्क लगेगा। इस प्रस्ताव से राजस्व पर 15.05 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा।

117. निर्यात के क्षेत्र में चमड़ा उद्योग की सम्भावनाओं को देखते हुए, मैं इस उद्योग के सम्बन्ध में एकमुश्त कई प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। मैं चमड़े का प्रसंस्करण करने वाले, जूतों और चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले अन्य उद्योगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विनिर्दिष्ट मशीनों पर सीमा-शुल्क को 81.5 प्रतिशत के सामान्य स्तर से घटाकर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कच्ची खालों और चमड़ियों, पपड़ी वाले चमड़े (क्रस्ट लेदर) और तैयार पशु-चमड़े को आयात-शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। वेट ब्ल्यू चमड़े पर मिलने वाली मौजूदा रियायत दीर्घकालिक आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। चमड़े का प्रसंस्करण करने वाले उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाटल एक्सट्रेक्ट पर आयात-शुल्क को 87 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 20.07 करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा।

118. पिछले बजट में और जनवरी, 1985 में रत्नों और आभूषणों से सम्बन्धित मशीनों के आयात पर कुछ रियायतें दी गई थीं। मैं अब रत्नों और आभूषणों की मशीनों के कतिपय संघटकों और उन मशीनों के प्रचालन के लिए आवश्यक कुछ औज़ारों के मामले में भी यह रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से राजस्व पर 53 लाख रुपए का प्रभाव पड़ेगा। पिछले बजट में खाद्य और मांस का प्रसंस्करण और उन्हें पैकेजबन्द करने वाली मशीनों की कुछ

विनिर्दिष्ट मदों के सम्बन्ध में जो रियायतें दी गई थीं, मैं उन्हें जारी रखने का भी प्रस्ताव करता हूं।

119. ऊनी कपड़ा उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं कच्चे ऊन पर सीमा-शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस राहत से राजकोष को एक पूरे वर्ष में 4.80 करोड़ रुपए की हानि होगी।

120. माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ महीने पहले सरकार ने एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत ईंधन की बचत करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण के लिए आयात किये जाने वाले संघटकों के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क की 45 प्रतिशत की रियायती दर लागू की थी। मैं इस रियायत को ऐसे वाहनों के वारंटी सम्बन्धी अतिरिक्त कल-पुर्जों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। वाणिज्यिक वाहनों के हिस्सों का उत्पादन देश में किए जाने में सहायता देने के लिए, मैं विनिर्दिष्ट अनुषंगी उद्योगों द्वारा आयातित संघटकों के मामले में भी यही रियायती दर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। फ्यूअल इंजेक्शन पम्पों के विनिर्माताओं द्वारा आयातित फ्यूअल इंजेक्शन पम्पों के संघटकों और वारंटी सम्बन्धी अतिरिक्त कल-पुर्जों पर भी यह रियायती दर लागू करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से, कुल मिलाकर, एक पूरे वर्ष में 24.7 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

121. मैं कुछ उन्नत प्रकार के संगणकों (कम्प्यूटरों) को, जो देश में नहीं बनाए जाते, सीमा-शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ-साथ, संगणकों के चार महत्वपूर्ण संघटकों के सीमा-शुल्क को 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है, ताकि संगणकों के स्वदेशी विनिर्माताओं की लागत को घटाया जा सके। इन प्रस्तावों से राजकोष को 20.40 करोड़ रुपए की हानि होगी।

122. स्वास्थ्य और चिकित्सा की आवश्यकताएं मेरी नजर से ओझल नहीं हुई हैं। मैं चिकित्सा उपस्करों की कतिपय महत्वपूर्ण मदों, जैसे न्यूक्लीयर मेग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनर, सी०ए०टी० स्कैनर और लिनियर एक्सेलेरेटर पर शुल्क की दर को घटाकर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। क्षय रोग-निरोधक और कुष्ठरोग-निरोधक दवाई, रिफेम्पिसिन, के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तीन मध्यवर्ती पदार्थों को आयात-शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जा रहा है। मैं दवाओं के निर्माण में काम आने वाले आठ अन्य मध्यवर्ती पदार्थों और होम्योपैथी की औषधियों पर भी सीमा-शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूं। इन रियायतों से राजस्व पर 14.09 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा।

123. सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन, अनुसंधान संस्थाओं द्वारा आयात किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी साधित्रों, उपकरणों और औजारों को सीमा-शुल्क से पहले ही छूट दे रखी है। देश में अनुसंधान को और प्रोत्साहन देने के लिए, मैं सार्वजनिक धन से वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा, एक वर्ष में 50,000 रुपए के मूल्य तक की आयात की जाने वाली अनुसंधान सामग्री की

उपभोग्य मदों को सीमा-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे एक पूरे वर्ष में लगभग 2.5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

124. जिप फासनरों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने और उनकी तस्करी को निरुत्साहित करने के लिए मैं जिप फासनरों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। यह उन अन्य उपायों के अनुरूप है, जो मेरे द्वारा इस दिशा में किए गए हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि हाल में घड़ियों के संघटकों, घड़ीसाजी की मशीनों और कच्ची सामग्रियों पर आयात-शुल्क में और इसके साथ-साथ घड़ियों पर उत्पाद-शुल्क में कमी की गई थी। इस उपाय से रोजकोष को 3.07 करोड़ रुपए की हानि होगी

125. इस संदर्भ में, माननीय सदस्यों को उन विभिन्न कदमों की जानकारी होगी, जो सरकार तस्करी-निरोधक उपायों को कड़ाई से कार्यान्वित करने के लिए उठा रही है। हमने हाल में इस सम्बन्ध में पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की एक उदार योजना की भी घोषणा की है। मुझे आशा है कि इस सदन के सम्मानित सदस्य इस सम्बन्ध में प्रबल जनमत का निर्माण करने में सहायता देंगे क्योंकि अन्ततोगत्वा केवल इसी से तस्करों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को कम और समाप्त किया जा सकता है।

126. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुकाबलों में पुरस्कार जीतने वाले अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, हमने एक योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत ऐसे पुरस्कारों पर देय करों के सम्बन्ध में यथोचित रियायतें दी जाती हैं।

127. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में भी कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों का, ब्यौरा बजट-पत्रों में दिया गया है।

128. उत्पाद-शुल्कों के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों पर चर्चा करने से पहले मैं एक अन्य विषय का उल्लेख करना चाहूंगा। यह विषय आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों से सम्बन्धित है, जिसने यह मत व्यक्त किया था कि वहन-पत्रों प्रत्यय-पत्रों और साधारण बीमा की पालिसियों पर स्टाम्प-शुल्क की दरों में वृद्धि करने की गुंजाइश है। तदनुसार, मैं वहन-पत्रों और प्रत्यय पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प-शुल्क की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। किन्तु साधारण बीमा की पालिसियों पर लगने वाले स्टाम्प-शुल्क की वर्तमान दरों में मैं कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता। शुल्कों की नई दरें 1 जुलाई, 1985 से ही प्रभावी होंगी ; इससे अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

129. अब मैं उत्पाद-शुल्कों की चर्चा करूंगा। मैं इस [illegible] अतिरिक्त साधन जुटाने के अपने प्रस्तावों से करता हूं।

130. उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद 68 के सम्बन्ध में शुल्क की दर को 10 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया जा रहा है। इससे एक पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों

के रूप में 125 करोड़ रुपए और प्रति सन्तुलनकारी शुल्कों के रूप में 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन मैं तत्काल यह बता दूं कि इस वृद्धि से कच्ची सामग्रियों और विनिर्मित निविष्टियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, क्योंकि मद 68 के अन्तर्गत आने वाली उन वस्तुओं पर, जो अन्य उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में इस्तेमाल होती हैं, अदा किए गए शुल्क की मुजराई के बारे में मौजूदा उपबन्ध जारी रहेगा।

131. वनस्पति उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क की दर को, जो पिछले 15 वर्षों से 5 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनी हुई है, बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

132. सीमेंट के बुनियादी उत्पाद-शुल्क को, सीमेंट की आम किस्मों के मामले में, 205 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 225 रुपए प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है। इससे उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत, 66 करोड़ रुपए का और सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत, प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क में वृद्धि होने से, 1.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

133. उत्पाद-शुल्क टैरिफ में चार नई मदों को शामिल किया जा रहा है, जिनसे एक वर्ष में 19 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। पहली तीन मदें हैं; संगमरमर के ब्लाक, स्लैब और टाइलें, यात्रा वस्तुएं और कार्बनिक रसायन। अन्तिम मद वह निर्मिति है, जिसमें सुपारी, और चूना, कत्था, इलायची, नारियल की गिरी और मेंथोल जैसे उपादानों में से कोई एक अथवा एक से अधिक उपादान शामिल हों, और जो निश्चित मात्रा के पात्रों (कंटेनर) में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाए। माननीय सदस्य समझ जाएंगे कि यह 'सम्मिश्रण' पान-मसाला है।

अध्यक्ष महोदय : वह अब कर-मसाला बन गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 134. लघु इस्पात संयंत्रों को शुल्क की विभेदी दर का जो लाभ प्राप्त है, उसे, घटाया जा रहा है। लेकिन उन्हें शुल्क में 50 रुपए प्रति मेट्रिक टन का लाभ फिर भी मिलता रहेगा। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 18 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

135. मैं वातित जलों के बुनियादी उत्पाद-शुल्कों को 200 मिली लिटर की प्रति बोतल पर 25 पैसे से बढ़ाकर 30 पैसे और सोडा वाटर को 200 मिलीलिटर की प्रति बोतल पर 5 पैसे से बढ़ाकर 10 पैसे करने का प्रस्ताव करता हूं। **व्यवधान** : मुझे नहीं मालूम है कि कितने सदस्यों की सोडे में रुचि है। ऊंची क्षमतावाली बोतलों के लिए अनुपातिक वृद्धि कर दी जाएगी। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि क्राऊन कार्कों पर लगने वाले बुनियादी शुल्क को प्रति इकाई 2 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसे कर दिया जाए। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में लगभग 16.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

136. कर-अपवंचन को कम करने के उपाय के रूप में, मैं समतल कांच (फ्लैट-ग्लास)

के सम्बन्ध में विशुद्ध रूप से शुल्क की मात्रानुसार दरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। में कांच से सम्बन्धित शुल्क-दरों के ढांचे को युक्तसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन उपायों से 12.5 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

137. मैं विनिर्दिष्ट किस्मों के छपाई और लिखाई के कागज और क्राफ्ट पेपर पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क में 200 रुपए प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि करने और कुछ विशेष प्रकार के कागज जैसे कोटेड पेपर, ग्लैसीन पेपर और सिगरेट टिशू पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इन उपायों से राजस्व में 10.50 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

138. मैं बीड़ियों पर कुल शुल्क को 3.74 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति हजार करने, धातु जैकेटयुक्त बैटरियों पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार करने, और स्टोरेज बैटरियों पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इन उपायों से 16.84 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

139. मेरे अगले कुछ प्रस्ताव कर-ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उपाय हैं।

140. वेनीयर दियासलाइयों पर लागू होने वाली रियायती दरों को गैर-यंत्रीकृत क्षेत्र में उत्पादित गत्ते वाली दियासलाइयों पर लागू किया जा रहा है। यंत्रीकृत क्षेत्र में दियासलाइयों में गत्ते के इस्तेमाल पर शुल्क की विभेदी दरों को समाप्त किया जा रहा है। अब शुल्क की केवल चार दरें होंगी, अर्थात् 1.60 रुपए, 4.50 रुपए, 5.15 रुपए और 6.85 रुपए प्रति गुरुस डिबियां जबकि इस समय अनेक दरें प्रचलित हैं। मुझे आशा है कि इस उपाय से गैर-यंत्रीकृत क्षेत्र में लकड़ी के स्थान पर गत्ते का अधिक इस्तेमाल होने लगेगा।

141. घरेलू साबुन, लांड्री साबुन और नहाने के साबुन के मामले में शुल्क की दरें केवल साबुन की कीमतों के आधार पर निर्धारित की जा रही हैं। शुल्क की निचली दर के लिए अर्हता प्राप्त करने के वास्ते 7,800 रुपए प्रति मेट्रिक टन की वर्तमान मूल्य सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है। 10,000 रुपए प्रति मेट्रिक टन से कम मूल्य वाले सभी साबुनों पर शुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर लागू होगी और अन्य ऊंची कीमत वाले साबुनों पर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगेगा। इस उपाय से प्रसंगवश लगभग 1 करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ हो जायेगा।

142 गैसों, ट्यूबों और टायरों के फ्लैपों के सम्बन्ध में, वर्तमान मूल्यानुसार शुल्कों को मात्रानुसार दरों में बदला जा रहा है जिससे शुल्क-निर्धारण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

143. मैंने वित्त विधेयक में कुछ ऐसे भी उपबंध शामिल किए हैं जिनका उद्देश्य प्रसाधन सामग्रियों और निर्मितियों, लोहे तथा इस्पात और अलौह धातुओं के सम्बन्ध में टैरिफ सम्बन्धी नामपद्धति में स्पष्टता लाना और उसे सरल तथा युक्तिसंगत बनाना है। प्रसाधन की सामग्रियों और निर्मितियों के मामले में इस उपाय से लगभग 5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। और भी कुछ छोटे-छोटे प्रस्ताव हैं, जिनका राजस्व की दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है; इनमें कुछ

मामलों में शुल्क की दरों में परिवर्तन करना और शुल्कों का पुनः समायोजन करना शामिल है।

144. मेरे अगले दो प्रस्ताव सरलीकरण और राहत देने के उपाय हैं। पहला विशेष उत्पाद-शुल्क के बारे में है। जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, यह शुल्क बुनियादी उत्पाद-शुल्क के प्रतिशत के रूप में लगता है और इसकी अधिकतम दर 10 प्रतिशत है। वर्तमान प्रणाली में इस शुल्क के लिए अलग-से हिसाब रखना पड़ता है। विशेष उत्पाद-शुल्क समाप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 100 मदों को इस शुल्क से मुक्त कर दिया जाए; कुछ मामलों में विशेष उत्पाद-शुल्क को बुनियादी शुल्क के साथ मिलाकर समाप्त किया जा रहा है। अब केवल 32 मदों पर ही यह शुल्क लगा करेगा। इस उपाय से राजकोष को 38.20 करोड़ रुपए की हानि होगी।

145. सरलीकरण से संबंधित दूसरा प्रस्ताव टेलीविजन, वी०सी०आर० और रेडियो पर लगने वाली लाइसेंस फीस के बारे में है। हालांकि रेडियो, टेलीविजन सेट और वी०सी०आर० के मामले में अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन केवल टेलीविजन सेटों पर एक नया शुल्क लगाया जा रहा है जो हर साल, जब तक कि टेलीविजन सेट रहता है, 50 रुपए के हिसाब से लगने वाली वर्तमान लाइसेंस फीस के बदले, एक बार में ही 100 रुपए प्रति सेट की एकसमान दर से वसूल कर लिया जाएगा। अब से लोगों को नए लाइसेंस लेने या पुराने लाइसेंस नये करवाने के लिए डाकघर नहीं जाना पड़ेगा। जहां तक भारत में विनिर्मित टेलीविजन सेटों का संबंध है, यह शुल्क एक अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क होगा। इस मद से इकट्ठा किया जाने वाला अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क केवल केन्द्र को ही मिलेगा और इसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होगा। जब टेलीविजन सेट बाहर से भारत में आयात किए जाएंगे तब उन पर अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में उतनी ही राशि देनी होगी। इस मद से एक वर्ष में 18 करोड़ रुपए का उत्पाद-शुल्क और 2 करोड़ रुपए का सीमा-शुल्क मिलेगा।

146. अब मैं वस्त्रों के बारे में अपने प्रस्तावों पर आता हूं। मैं सूती कपड़े (फेब्रिक) पर लगने वाले शुल्क को अंशतः यार्न (सूत) पर अन्तरित करना चाहता हूं। अप्रसंस्कृत सूती कपड़ों को पूर्णतः शुल्क-मुक्त किया जा रहा है और सूत पर लगने वाले कर-भार में सामान्य रूप से लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। किन्तु सीधे रील हैंकों में मिलने वाला सूत, जो आम तौर पर हाथकरघों में इस्तेमाल किया जाता है, आगे भी शुल्क-मुक्त रहेगा। पंजीकृत हाथकरघा सहकारी समितियों को सप्लाई किए जाने वाले क्रास रील हैंकों में मिलने वाले सूत के लिए शुल्क की रियायती दरें आगे भी लागू रहेंगी। कपड़ों के विद्युत प्रसंस्करण पर, चाहे वह सम्मिश्रित मिलों में होता हो या अन्यत्र, आम तौर पर, वही प्रसंस्करण अवस्था पर लगने वाला शुल्क कुछ कम दर पर लगेगा। समग्र दर को कम करते समय मैंने इस बात को सुनिश्चित करने का ध्यान रखा है कि राज्यों को दिए जाने वाले बिक्री-कर के स्थान पर वसूल किये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क की राशि अवश्य बढ़े। हाथ से प्रसंस्करण करने वालों को जो छूट मिलती है वह आगे भी मिलती रहेगी। इसी प्रकार अनुमोदित स्वतन्त्र प्रसंस्कर्ताओं और पंजीकृत हाथकरघा सहकारी

समितियों द्वारा प्रसंस्कृत हाथकरघे के कपड़ों को मिलने वाली छूट भी जारी रहेगी।

147. मैं शोडी ऊनी कंबलों को पूर्णत: शुल्क-मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। कतिपय पोलिएस्टर-ऊन मिश्रित कपड़े पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को भी कम किया जा रहा है।

148. वस्त्रों से सम्बन्धित उत्पाद-शुल्क विषयक मेरे प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में लगभग 13.85 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

149. सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि इलेक्ट्रोनिक उद्योग की वृद्धि की क्षमता को देखते हुए, पिछले दो वर्षों में इस उद्योग को सीमा-शुल्क के मामले में काफी अधिक रियायतें दी गई हैं। कम्प्यूटरों के मामले में सीमा-शुल्क में जो रियायतें दी गई हैं उनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। मैं कम्प्यूटरों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने भिन्न-भिन्न इलेक्ट्रोनिक मदों के सम्बन्ध में मौजूदा उत्पाद-शुल्क के टैरिफ ढांचे को भी युक्तिसंगत बनाने की कोशिश की है।

150. टेलीविजन सेटों पर उत्पाद-शुल्क के निर्धारण को सरल बनाने के उद्देश्य से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि टेलीविजन के पर्दे (स्क्रीन) के आकार के अनुसार उसके उत्पाद-शुल्क की मात्रानुसार दरें निर्धारित की जाएं। ऐसा करते हुए, मैं उन श्याम-श्वेत टेलीविजन सेटों को भी उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर रहा हूं जिनके परदे का आकार 36 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।

151. इन प्रस्तावों से राजकोष को एक वर्ष में 7.72 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

152. मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले बुनियादी उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार और तिपहिया वाहनों के बुनियादी उत्पाद-शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। इससे एक वर्ष में लगभग 45 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। किन्तु मैं तिपहिया वाहनों सहित सभी वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण में काम आने वाले टायरों और बैटरियों पर अदा किए गए शुल्क को जमा खाते डालने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के शुल्क में 2 प्रतिशत अंशों की कमी की जाए, जो वाहन टर्बो-चार्ज हों। यह रियायत यात्री-कारों के मामले में भी दी जाएगी यदि वे टर्बो-चार्ज होंगी। इन दो प्रस्तावों से राजकोष को एक वर्ष में 82 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस प्रकार 37 करोड़ रुपए के राजस्व की निवल हानि होगी। मैं आशा करता हूं कि इन उपायों से विनिर्माताओं को वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें घटाने में मदद मिलेगी।

153. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1982 के बजट में डूप्ले पेपर बोर्ड को, जो कम घनत्व वाले पोलीथिलीन के साथ परतबंदी (लेमीनेशन) के लिए और दूध की थैलियां (पैकेज) बनाने के काम आता है, पूरी तरह से छूट दी गई थी। मैं इस रियायत को उन सभी किस्मों के कागज और गत्ते के संबंध में देने का प्रस्ताव करता हूं जो कम घनत्व वाले पोलीथिलीन के साथ परतबंदी के काम आता है; इससे दूध के बेहतर उपयोग और विपणन में सहायता मिलेगी। मैं साइकिलों के कल-पुर्जों और चमड़े के बोर्डों को भी उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव

करता हूं। इन रियायतों के कारण एक पूरे वर्ष में 2.10 करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा।

154. मेरा अन्तिम प्रस्ताव लघु उद्योग के क्षेत्र के लिए उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद-शुल्क के तंत्र का उपयोग किया गया है। 67 विनिर्दिष्ट वस्तु-समूहों से संबंधित वर्तमान सामान्य योजना के अन्तर्गत, 7.5 लाख रुपए तक के मूल्य की पहली निकासी के लिए पूरी छूट मिलती है और उसके बाद 25 लाख रुपए तक के मूल्य की निकासी पर अन्यथा देय शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से शुल्क लगता है। किन्तु, जिस एकक की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की रही हो, वह इस रियायत का पात्र नहीं होता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 25 लाख रुपए की विभाजक सीमा लघु उद्योग क्षेत्र के विकास में बाधा न बने, मैं पात्रता की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि इस योजना को, खन्ड-दरों की व्यवस्था करके, और उदार बना दिया जाए। यह दर 7.5 लाख रुपये और 15 लाख रुपए के बीच की निकासियों के लिए अन्यथा देय शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर 15 लाख रुपए और 25 लाख रुपए के बीच की निकासियों के लिए 50 प्रतिशत के बराबर और 25 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच की निकासियों के लिए यह दर अन्यथा देय शुल्क के 75 प्रतिशत के बराबर होगी। संशोधित योजना में यह परिकल्पना की गई है कि जब कोई विनिर्माता 40 लाख रुपए की सीमा को भी पार कर जाए, तब भी वह, जब तक कि 75 लाख रुपए की निकासी को पार नहीं कर जाता, निचले खण्डों पर लागू रियायती दरों के लाभ से वंचित नहीं होता। एक ऐसी ही योजना, कुछ परिवर्तनों के साथ, मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के संबंध में लागू की जा रही है।

155. लघु क्षेत्र से संबंधित मेरे प्रस्तावों से 20 करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा।

156. सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क के संबंध में मेरे उपर्युक्त प्रस्तावों से सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत 707 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 424.29 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत कुल मिलाकर 419.88 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 164.75 करोड़ रुपए की रियायतें और राहतें दी जा रही हैं। इस प्रकार, सीमा-शुल्कों से 287.12 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों से 259.54 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उत्पाद-शुल्कों में केन्द्र का हिस्सा 139.59 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 119.95 करोड़ रुपए का होगा। केन्द्र के हिस्से में 18 करोड़ रुपए की वह राशि शामिल है जो टेलीविजन सेटों पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के कारण प्राप्त होगी। मैं यह बतला देना चाहूंगा कि राज्यों के हिस्से का हिसाब बुनियादी उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाली निवल राशि के 45 प्रतिशत की दर पर लगाया गया है और बिक्री-कर के स्थान पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क के भार को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

157. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में 17 मार्च, 1985 से प्रभावी होने वाले परिवर्तनों को लागू करने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

158. मैंने पहले बतलाया था कि करों की मौजूदा दरों पर 3,660 करोड़ रुपए का बजट घाटा रहेगा। राहतों और रियायतों को हिसाब में लेते हुए प्रस्तावित कर सम्बन्धी उपायों से 1985-86 के दौरान केन्द्र को 311 करोड़ रुपये और राज्यों को 132 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार 3,349 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। यह घाटा चालू वर्ष के घाटे से कम है। मुझे पक्का विश्वास है कि हमने जो विभिन्न नीतियां और उपाय प्रस्तावित किए हैं वे अर्थव्यवस्था को और उत्प्रेरित करेंगे और जनसाधारण के कल्याण में योगदान देंगे।

159. अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस प्रकार अपने भाषण का समारंभ स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों के साथ किया था, वैसे ही इसका समापन भी मैं उनके इन शब्दों के साथ कर रहा हूं : "हम सबको नये भारत के निर्माण में अटूट विश्वास है। आइए, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर देश की गाड़ी को आगे धक्का लगाएं।"

6.52 म०प०

वित्त विधेयक, 1985*

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया है।

---

* दिनांक 16 मार्च, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

6.53 म०प०

अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) संशोधन विधेयक*

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री के अनुरोध पर मैंने उन्हें एक गोपनीय विधेयक उसकी प्रतियों के पूर्व परिचालन के बिना ही पुरःस्थापित करने की अनुमति दी है।

अब वित्त मंत्री विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर-दाता) संशोधन अधिनियम, 1974 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया है। विधेयक की प्रतियां बजट सैटों में उपलब्ध हैं। अब सभा 18 मार्च, 1985 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.55 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा 18 मार्च, 1985/27 फाल्गुन, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* दिनांक 16 मार्च, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।